मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14

मंत्री	–	श्री कैलाश विजयवर्गीय
प्रमुख सचिव	–	श्री एस.एन. मिश्रा
आयुक्त–सह–सचिव	–	श्री संजय कुमार शुक्ल
उप सचिव	–	श्री के.के. कातिया
अवर सचिव	–	श्री आर.एस. वर्मा
		श्री डी.डी.पण्डित

प्रस्तावना

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का वर्ष 2013–14 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2013–14
–: विषय सूची :–

क्र.	भाग		विषय	पृष्ठ संख्या
1.	एक– विभागीय संरचना	1.	विभागीय संरचना	1
		2.	नगरीय स्थानीय निकाय	1
		3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	2
		4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	2–3
2.	दो– बजट विहंगावलोकन	1.	बजट विहंगावलोकन	4
3.	तीन–राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं			
	(अ) राष्ट्रीय योजनाएं	1.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)	5–6
		2.	एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)	6–7
		3.	राजीव आवास योजना (RAY)	7–8
		4.	राजीव ऋण योजना (RRY)	8
		5.	छोटे एवं मझोले नगरो के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)	8–9
		6.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)	9–10
		7.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	10–11
	(ब) राज्य योजनाएं	1.	हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009	11
		2.	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009	11
		3.	मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना, 2012	12
		4.	केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013	12
		5.	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	12
		6.	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	12–13
		7.	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना	13–14
		8.	एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	14
	(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं	1.	एशियाई विकास बैंक सहायतित– शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)	14–16
		2.	मध्यप्रदेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम	16–19
	(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं / कार्यक्रम	1.	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान	19
		2.	नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि	19

		3.	मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)	19–20
		4.	मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड	20
		5.	नगर विकास योजना	20–21
		6.	रैनबसेरा	21
		7.	सिंहस्थ, 2016	21–22
		8.	करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना	22
		9.	प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में शासन की पहल	22–23
		10.	शहरी सुधार कार्यक्रम	24
	(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं	1.	नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना	24–25
		2.	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)	25
		3.	नगरीय निकायों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण निधि योजना	25–26
		4.	सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना	26
4.	**चार– अन्य प्रशासनिक विषय**	1.	विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम	27
		2.	सूचना प्रौद्योगिकी	27–28
		3.	वीडियो कांफ्रेसिंग	28
		4.	ऑन लाईन फंड ट्रांसफर	28
		5.	स्थानीय निकाय सेवा दिवस	28
		6.	नगरीय निकायों के निर्वाचन	29
		7.	विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां, स्थानांतरण एवं कार्मिक संरचना	29
		8.	नगरीय निकायों का अंकेक्षण	29–30
		9.	विधि विषयक कार्य	30
		10.	मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग	30
5.	**परिशिष्ट**	**एक**	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का स्वीकृत प्रशासकीय अमला	31–34
		दो	प्रदेश की नगरीय निकायों की संभाग/ जिलेवार सूची	35–40
		तीन	वर्ष 2013–14 का बजट प्रावधान तथा व्यय	41–46
		चार	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम	47–48
		पांच	जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	49–51
		छह	आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	52–53
		सात	यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	54–57
		आठ	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं	58–59
		नौ	''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये गए मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	60–61

भाग–एक

विभागीय संरचना

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन एक उप सचिव तथा दो अवर सचिव पदस्थ हैं।

1.2 विभागाध्यक्ष कार्यालय

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1.3 संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर उप संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और रीवा में गठित हैं।संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

1.4 राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

1.5 जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

1.6 विभाग के अंतर्गत स्थापित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

2. नगरीय स्थानीय निकाय

2.1 प्रदेश में कुल 377☆ नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	14
2	नगरपालिका परिषद	100
3	नगर परिषद	263☆
	योग	377

इनमें 17 नवगठित नगर परिषदें है, जहां नगरीय निकायों का गठन एवं निर्वाचन प्रक्रियारत है।

2.2 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीयक्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011

3.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। इन निकायों के गठन, कार्य संपादन, शक्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रयोजनों की पूर्ति के लिए राज्य विधायिका द्वारा नगरपालिक निगमों के लिये म.प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों के लिये म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 अधिनियमित किये गये हैं।

3.3 प्रदेश के नगरीय निकाय स्वायत्तशासी हैं। विभाग का दायित्व इन निकायों को उनके बुनियादी कर्तव्यों के निर्वहन में प्रशासकीय, वित्तीय और तकनीकी मामलों में आवश्यक परामर्श और सहयोग देना है।

3.4 नगरीय निकायों के लेखाओं का अंकेक्षण संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश के द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण
(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय
(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन
(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन
(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम
(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले
(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्नअभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) JNNURM, UIDSSMT, IHSDP, RAY, NULM योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) शहरी स्वच्छता मिशन

(16) म.प्र.शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन

(17) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(18) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(19) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(20) शहरी अधोसंरचना

(21) शहरी गरीबों के लिये आवास

(22) शहरी पेयजल

(23) आग की रोकथाम

(24) शहरी सुधार कार्यक्रम

(25) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग

(26) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण

(27) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण

(28) नगर विकास योजना तैयार करना

(29) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 588406.10 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध वर्ष 2013–14 में कुल रूपये 485846.88 लाख का व्यय किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)**पर है।

3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अंतर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित एशियाई विकास बैंक सहायतित परियोजना तथा डी.एफ.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्रामके लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निकायों को देय अनुदान का प्रावधान भी इसी मद के अंतर्गत रखा गया है।

4. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्रीकर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

————————

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)

1.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा माह दिसंबर, 2005 में देश के 65 बड़े शहरों में संयुक्त रूप से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के निम्नांकित शहरों का चयन हुआ है :–

1. इंदौर
2. भोपाल
3. जबलपुर
4. उज्जैन (हेरीटेज शहरों की श्रेणी में)

1.2 मिशन के अंतर्गत इन्दौर, भोपाल तथा जबलपुर शहरों के लिये परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 20 प्रतिशत एवं निकाय अंश 30 प्रतिशत देय होता है। उज्जैन शहर के लिए 80:10:10 के अनुपात में केन्द्रांश,राज्यांश, निकाय अंश की व्यवस्था रखी गई है।

1.3 मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और सुधार कार्यकमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय परिचालन समिति** गठित है। इसके साथ ही मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय साधिकार समिति** का गठन भी किया गया है।

1.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जेएनएनयूआरएम के लिए **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

1.5 विभागीय आदेश दिनांक 05.07.2010 से स्थानीय स्तर पर मिशन के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा के लिए सबंधित जिले के प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में समिति का गठन भी किया गया है।

1.6 भारत सरकार द्वारा मिशन शहरों के निम्नानुसार **सिटी डेवलपमेंट प्लान** अनुमोदित किये गये हैं :–

क्रमांक	शहर	परियोजना राशि (करोड़ रू. में)
1	इंदौर	2745.75
2	भोपाल	2153.00
3	जबलपुर	1929.00
4	उज्जैन	1237.73

1.7 मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से अभी तक चयनित चार शहरों के लिए रूपये 3347.82 करोड़ की लागत की 49 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। अद्यतन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या एवं उनकी लागत निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	शहर का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (राशि करोड़ रू. में)
1	इंदौर	14	1030.81
2	भोपाल	22	1563.25
3	जबलपुर	9	607.90
4	उज्जैन	4	145.86
	योग	**49**	**3347.82**

1.8 विभाग के वर्ष 2013–14 के बजट में मिशन मद में रूपये 380.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1.9 भारत सरकार द्वारा मिशन के दिशा–निर्देशों में राज्य सरकारों तथा नगरीय निकायों से विभिन्न सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की गयी है। मध्यप्रदेश में इनमें से अनेक सुधार कार्यक्रमों को लागू किया जा चुका है और शेष कार्यक्रमों के संबंध में सुनियोजित कार्ययोजना के तहत कार्यवाही जारी है। सुधार कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है।

1.10 मिशन के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच (एक)**पर है।

1.11 भारत सरकार द्वारा मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 1155.41 करोड़ लागत कुल 08 नवीन परियोजनाएं की स्वीकृत की गई हैं, स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पॉच (दो)** पर है।

1.12 प्रदेश के भोपाल एवं इन्दौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत Dedicated Lane में A.C. बसों का संचालन किया जा रहा है, जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हो रहा है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधाएं प्राप्त हो रही है।

1.13 राज्य सरकार की पहल पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत बसों की खरीदी हेतु रूपये 193.70 करोड़ लागत से इंदौर में 175, भोपाल में 225, जबलपुर में 119, और उज्जैन में 90 आधुनिक, लो–फ्लोर, स्टेट–ऑफ–आर्ट सिटी बसों का क्रय करने के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से इन्दौर में 91, भोपाल में 205, जबलपुर में 119 तथा उज्जैन में 89 बसें संचालित हो रही हैं। सितम्बर 2014 तक शेष समस्त बसों का संचालन प्रारंभ होना संभावित है।

2 एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP)

2.1 यह योजना भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम और बाल्मिकी अंबेडकर आवास योजना को समन्वित कर नये रूप में माह दिसंबर, 2005 से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों के निवासियों को समुचित आवास एवं बुनियादी अधोसंरचना प्रदान करते हुए इन बस्तियों का विकास करना है।

2.2 यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चयनित शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में लागू की गई है, जिसमें 80 प्रतिशत केन्द्रांश, 10 प्रतिशत राज्यांश और 10 प्रतिशत निकाय/हितग्राही के अंश के मापदण्ड पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

2.3 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2012 तक रूपये 362.41 करोड़ लागत की 56 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत गरीबों के लिए 22,998 आवासों का निर्माण एवं अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें 7788 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 2644 आवास हितग्राहियों को आवंटित भी किये जा चुके हैं।

2.4 योजना के लिए विभाग के वर्ष 2013–14 के बजट में कुल रूपये 122.49 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

2.5 योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–छह** पर है।

3. राजीव आवास योजना (RAY)

3.1 भारत सरकार, के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों/गरीबों के कल्याण हेतु योजनाबद्ध दृष्टि से मलिन बस्ती मुक्त भारत/राज्य/निकाय बनाने के उद्देश्य से ''राजीव आवास योजना'' लागू की गई है, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–

(1) अधिूसचित/गैर अधिसूचित गंदी बस्ती क्षेत्रों को शहरों की मुख्य धारा में लाना ताकि ऐसे क्षेत्रों में रह रहे लोग भी शहर के शेष नागरिकों की तरह मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(2) औपचारिक व्यवस्था की उन कमियों को दूर करना, जो गंदी बस्तियों के निर्माण का कारण बनती हैं।

(3) शहरी भूमि और आवास की कमी की उन समस्याओं को दूर करना, जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हो गये हैं।

3.2 योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही अंशदान का विवरण निम्नानुसार है :–

शहर का वर्गीकरण	वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार शहर		अशंदान			
		घटक	केन्द्र सरकार (%)	राज्य सरकार (%)	नगरीय निकाय (%)	हितग्राही (%)
अ	5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर	आवास	50	25	–	25
		अधोसंरचना	50	25	25	–
ब	5 लाख तक जनसंख्या वाले शहर	आवास	75	15	–	10
		अधोसंरचना	75	15	10	–

3.3 भारत सरकार द्वारा ''अ'' श्रेणी के शहर के लिये रूपये 5.00 लाख एवं ''ब'' श्रेणी के शहर के लिये रूपये 4.00 लाख प्रति आवासीय इकाई की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

3.4 राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 6 शहर (भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं जबलपुर) एवं द्वितीय चरण में 12 शहर (देवास, रतलाम, खण्डवा, बुरहानपुर, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिन्दवाडा, रीवा, नीमच, विदिशा एवं हरदा) सम्मिलित हैं।

3.5 योजना के अंतर्गत प्रथम चरण के 6 शहरों इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन एवं सागर के **''स्लम फ्री सिटी प्लान''** तैयार कर भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा भोपाल, इन्दौर, एवं ग्वालियरके स्लम फ्री सिटी प्लानको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रतलाम, सिंगरौली, नीमच एवं छिन्दवाड़ा के प्रोजेक्ट्स की डीपीआर की कुल राशि रूपये 488.11 करोड़ की 8630 आवासीय इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार की केन्द्रीय स्वीकृति एवं पर्यवेक्षण समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3.6 योजना के अंतर्गत अन्य 6 शहरों (देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, सतना, कटनी एवं रीवा) के प्रोजेक्ट्सतथा सागर की प्रथम वर्ष के कार्ययोजना की डीपीआर राशि रूपये 391.43 करोड़ की राज्य साधिकार समिति से स्वीकृति उपरांत भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

3.7 योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के 10 शहरों द्वारा मलिन बस्ती मुक्त कार्य योजना एवं डीपीआर तैयार किये जा रहे हैं।

3.8 प्रथम चरण के 6 शहरों में कुल 1761 मलिन बस्तियां चिन्हाकित की गई हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 19,71,344 हैं। इन बस्तियों के उन्नयन, पुनर्विकास एवं पुनर्स्थापन के लिये कुल रूपये 13,756.57 करोड़ की कार्य योजना तैयार की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 शहरों (भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं सागर) में कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। योजना के अंतर्गत आवास एवं मूलभूत अधोसंरचना हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शहर का नाम	आवासों की संख्या	परियोजना लागत (राशि रू. करोड़ में)
1	भोपाल	1204	73.99
2	इन्दौर	1463	84.34
3	ग्वालियर	934	57.16
4	जबलपुर	740	36.94
5	सागर	780	35.11
6	उज्जैन	1196	72.01
7	रतलाम	848	45.65
8	सिंगरौली	267	15.74
9	नीमच	144	7.82
10	छिन्दवाड़ा	1054	59.35
कुल योग		**8630**	**488.11**

4. राजीव ऋण योजना (RRY)

4.1 भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2013 में आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को नवीन आवास निर्माण एवं वर्तमान आवासीय इकाईयों के संधारण/विस्तारण हेतु राजीव ऋण योजना लागू की गई है।

4.2 यह योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू है।

4.3 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के शहरी निवासियों को 5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4.4 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (EWS) की अधिकतम आय रूपये 1.00 लाख एवं निम्न आय वर्ग (LIG) की अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार होना चाहिये।

4.5 योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये अधिकतम ऋण रूपये 8.00 लाख (रूपये 5.00 लाख रियायती ब्याज दर पर) दिये जाने का प्रावधान है।

5. छोटे एवं मझोले नगरों के लिये शहरी अधोसरंचना विकास योजना (UIDSSMT)

5.1 भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझोले नगरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से **यूआईडीएसएसएमटी** योजना प्रारंभ की गई है।

5.2 योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्ध राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

5.3 योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

5.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये **राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी** मनोनीत है।

5.5 योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 31मार्च, 2014तक रूपये 2859.91 करोड़ लागत की 114 नगरों की 181परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 28 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।

5.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

6. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)

6.1 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में दिनांक 01 दिसम्बर, 1997 से लागू है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2009 से योजना के नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार शहरों में गरीबी रेखा का मापदण्ड प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आय रूपये 522.64 से कम होना है। पूर्व सर्वेक्षण अनुसार इस समय प्रदेश में शहरी गरीब परिवारों की संख्या लगभग 13,00,000 है।

6.2 **योजना के प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:–**

(1) **शहरी स्वरोज़गार कार्यक्रम (यूएसईपी)** इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम रूपये2,00,000.00 की इकाई लागत तक के ऋण प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं, जिसमें 70 प्रतिशत ऋण बैंकों द्वारा व 25 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रूपये 50,000.00 की अर्थिक सहायता राज्य शासन द्वारा दिये जाने का प्रावधान है तथा 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही को लगानी होती है।

(2) **शहरी गरीबों के बीच रोजगार बढाने के लिये कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप)**इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। ट्रेड/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम राशि रूपये 10,000.00 तक व्यय किया जा सकता है। प्रशिक्षण शासकीय/अशासकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं से कराया जा सकता है। प्रशिक्षित हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार टूलकिट्स प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

(3) **शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)** इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय निकायों के क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उनके श्रम का प्रयोग करके मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामग्री और श्रम का अनुपात 60:40 निर्धारित है, जिसमें मटेरियल, लेबर के अनुपात में 10 प्रतिशत (किसी भी तरफ) की छूट दी जा सकती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र हेतु समय–समय पर अधिसूचित, व्याप्त निम्नतम मजदूरी दर लाभार्थी को दी जाती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम केवल प्रदेश की नगर परिषदों में लागू है।

(4) **शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) (ऋण व अनुदान)** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक समूह, कम से कम 5 महिला हितग्राहियों के एक समूह, को अधिकतम राशि रूपये 3,00,000.00 अथवा रूपये 60,000.00 प्रति हितग्राही अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान, 60 प्रतिशत ऋण तथा 5 प्रतिशत सीमांत राशि हितग्राही द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(5) **शहरी महिला स्व–सहायता कार्यक्रम (यूडब्ल्यूएसपी) (आवर्ती निधि)** इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी–छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने और शहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत डालने के लिये बचत एवं साख समूहों का गठन करने का प्रावधान है। समूह द्वारा एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें राज्य शासन की ओर से समूह को रूपये 2,000.00 प्रति सदस्य के मान से अधिकतम रूपये 25,000.00 आवर्ती निधि समिति को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महिलाएं अपनी छोटी–छोटी आकस्मिक आवश्यकताओं का निर्वहन कर सकें।

(6) **सामुदायिक विकास नेटवर्क (यूसीडीएन) सामुदायिक अवसंरचना, सामुदायिक विकास और अधिकारिता** इस कार्यक्रम के अंतर्गत नगरों में समुदाय आधारित संगठनों का सृजन और उनकी भागीदारी को बढावा दिया जाकर स्थानीय सामाजिक गतिविधियों का संचालन करना है। इन संगठनों में पड़ोसी समूह, पड़ोसी समिति तथा सामुदायिक विकास समिति गठित है। इसके अंतर्गत सामाजिक गतिविधियां/स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन, स्वास्थ्य शिविर, जनजागृति कार्यक्रम, बालवाड़ी का संचालन, बचत एवं साख समिति का गठन, विभिन्न प्रकार के रोजगार मूलक प्रशिक्षणों का संचालन, नुक्कड नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां एवं क्षेत्रीय लोक कला इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त गतिविधियों में सहयोग और संचालन के लिये सामुदायिक संगठक संविदा पर नियुक्त किये गये हैं।

6.3 योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से 2013–14 तक प्राप्त केन्द्रांश, राज्यांश और विमुक्त की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वर्ष	प्राप्त राशि (रू. लाख में)		
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2011–12	5719.08	1906.36	7625.44
2	2012–13	4743.32	1581.10	6324.42
3	2013–14	4724.85	1574.75	6299.60

6.4 शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के महत्वपूर्ण घटक है। इन दोनों कार्यक्रमों में वर्ष 2013–14 तक की उपलब्धि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्यक्रम	उपलब्धि
1	शहरी स्व–रोज़गार कार्यक्रम	11744
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	59109

7. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

7.1 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

7.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जनसंख्या	शहर का नाम
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3.	03 लाख से 05 लाख	सागर
4.	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर एवं डबरा
5.	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डौरी, धार एवं आगर

7.3 मिशन के अंतर्गत संचालित किये जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

(1) Social Mobilisation & Institution & Development (SM&ID).
(2) Capacity Building & Training (CB&T)
(3) Employment Through Skills Training&Placement (EST&P)
(4) Self-Employment Programme (SEP)
(5) Support to Urban Street Vendors (USV)
(6) Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH)

(ब) राज्य योजनाएं

1. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

1.1 प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भ की गई है। हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों को किरायेदार से मालिक बनाने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हाथठेला की प्रति इकाई लागत राशि रूपये 6,000.00 तथा साइकिल रिक्शा की प्रति इकाई लागत राशि रूपये 10,000.00 रखी गई है।

1.2 राज्य शासन द्वारा योजना के अंतर्गत देय अनुदान 25 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रति हितग्राही हाथठेला में रूपये 2,500.00 एवं साइकिल रिक्शा में रूपये 3,500.00 अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत हाथठेला/साइकिल रिक्शा चालकों के परिवार की चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा की जरूरतों के लिये सहायता देने की भी व्यवस्था की गई है।

1.3 वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 73,788 हाथठेला चालकों का सर्वेक्षण कर 36,572 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार कुल सर्वेक्षित 14,657साइकिल रिक्शा चालकों में से5,822 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

2. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

2.1 शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत घरेलू कामकाजी बहनों का पंजीयन कर उन्हें प्रदेश में आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है एवं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रूपये 2,000.00 एक मुश्त पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

2.2 इस योजना के अंतर्गत कामकाजी बहनों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था की गई है।वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 15,842 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षित किया गया है।

3. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

3.1 प्रदेश में शहरी फेरी वालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 में लागू की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 84,000 शहरी फेरी वालों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें से 79,612 व्यक्तियों को पहचान पत्र दिये गये हैं तथा 1,836 ग्रीन जोन, 878 येलो जोन, 915 रेड जोन, 1,669 चलित विक्रय क्षेत्र (मोबाईल जोन) का चिन्हांकन तथा 360 नगर विक्रय समितियों का गठन किया गया है।

3.2 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रूपये 262.50 लाख का आवंटन हितग्राही मूल घटकों के लिये जिलों को दिया गया है एवं 10,000 फेरी वालों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जिलेवार निर्धारित किया गया है। अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कुल 4,046 व्यक्तियों तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले कुल 1,462 व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंको के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है।

3.3 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में हाकर्स जोन के स्थल विकास एवं अधोसंरचना विकास कार्य के लिये रूपये 14.00 करोड़ का आवंटन प्रदेश की नगरीय निकायों को योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दिया गया है।

4. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्प का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए दिनांक 29.01.2013 को मुख्यमंत्री निवास पर केश शिल्पी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें केश शिल्पियों के कल्याण के लिये केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

5.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई है।योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है।शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

5.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया जायेगा, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में पेयजल योजना के लिये रूपये 90.00 करोड़ अनुदान राशि नगरीय निकायों को जारी की गई है। योजना के अंतर्गतमार्च, 2014 तक रूपये 977 करोड़ की कुल 72 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट–आठ** पर है।

6. मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन

6.1 प्रदेश में स्वच्छता की स्थिति को उन्नत करने के लिये पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में एकीकृत नगरीय स्वच्छता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, जिसे प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन के नाम संचालित किया जा रहा है। मिशन हेतु पंचवर्षीय योजनान्तर्गत रुपये 459.44 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। मिशन के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 में रुपये 78.90 करोड़ का प्रावधानित किये गये है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित घटकों के लिये अनुदान उपलब्ध कराया जाता है :–

1. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
2. सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गैर परंपरागत कम लागत की योजना
5. सूचना शिक्षा संप्रेषण
6. सेप्टेज प्रबंधन एवं उपचारण
7. नगरीय स्वच्छता से जुड़ा अन्य कोई कार्य जो उपरोक्त 3.1 से 3.6 के अतिरिक्त हो।

6.2 योजना के वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.	निकाय	शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	90%	10%
2	नगर पालिका परिषद	90%	10%
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर छोड़कर)	85%	15%
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर)	80%	20%

6.3 व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र.	निकाय	शासन अनुदान	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	नगर परिषद	80%	10%	10%
2	नगर पालिका परिषद	80%	10%	10%
3	नगर निगम (भोपाल एवं इंदौर छोड़कर)	75%	15%	10%
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर)	70%	20%	10%

6.4 वित्तीय वर्ष 2013–14 में 75889 व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालय एवं 122 सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।

6.5 प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को कचरा मुक्त करने की दिशा में मिशन के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये नगर परिषद, महेश्वर एवं नगर परिषद, नामली द्वारा 100 प्रतिशत घर–घर कचरा एकत्र कर जैविक खाद बनाने की कार्यवाही की जा रही है। साथही 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत सभी नगर निगमों के 2 वार्ड में घर–घर कचरा एकत्र करने काकार्य आरंभ किया गया है। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये निवेश लागत को कम करने के लिये क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने हेतु पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में नगर निगम कटनी एवं संलग्न 4 नगरीय निकायों में कार्यवाई की जा रही है।

7. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

7.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है।योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

7.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

7.3 योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश की कुल 277 नगरीय निकायों को रूपये 1,429.79 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें रूपये 1,000.00 करोड़ हडको से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

7.4 योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 42 नगरीय निकायों को रूपये 111.05 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई एवं रूपये 90.00 करोड़ का अनुदान विमुक्त किया गया है तथा हडको द्वारा रूपये 123.50 करोड़ की राशि विमुक्त की गई है। योजना के अंतर्गत 133 नगरीय निकायों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8. एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

8.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्नपरियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत् राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

8.2 एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत नगरीय निकायों को कुल राशि रूपये 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 03 नगरीय निकायों क्रमशः अलीराजपुर, महेश्वर एवं सेंधवा की जल प्रदायपरियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	लागत (राशि रू. लाख में)
1	नगरपालिका परिषद, सेंधवा	जल प्रदाय	2141.74
2	नगर परिषद् डीकेन	जल प्रदाय	558.20
3	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	जल प्रदाय	1450.44
4	नगरपालिका परिषद, दतिया	जल प्रदाय	2225.90
5	नगर परिषद् लटेरी	जल प्रदाय	1052.04
6	नगर परिषद् महेश्वर	जल प्रदाय	1187.00
7	नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर	जल प्रदाय	1337.00
8	नगरपालिका परिषद, सीहोर	जल प्रदाय	700.00
9	नगर परिषद् गरोठ	जल प्रदाय	1507.00
10	नगर परिषद् सैलाना	जल प्रदाय	486.00
11	नगर परिषद् ब्यौहारी	जल प्रदाय	3100.00
	योग		**15745.32**

(स) **बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं**

1. एशियाई विकास बैंक सहायतित–शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना (परियोजना उदय)

1.1 प्रदेश के प्रमुख शहरों में पेयजल आवश्यकता की पूर्ति एवं पर्यावरणीय सुधार हेतु भारत सरकार के माध्यम से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से नगरीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

इस योजना का क्रियान्वयन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में किया जा रहा है। परियोजना के संपूर्ण भौतिक कार्य पूर्ण करने की अवधि दिसम्बर, 2013 तक थी।

1.2 परियोजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	विवरण	राशि (रू. करोड़ में)
1	एडीबी से प्राप्त ऋण	979.90
2	मध्यप्रदेश शासन का अंशदान	282.72
3	नगर निगम का अंशदान	224.69
4	यू.एन.हैबीटेट का अंशदान	2.02
	योग	**1489.33**

1.3 परियोजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में माह दिसम्बर, 2013 तक कुल रूपये 132.04 करोड़ का व्यय हुआ है। इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अभी तक कुल रूपये 1368.34 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

1.4 परियोजना क्रियान्वयन के अंतर्गत संपन्न विभिन्न कार्यो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	पैकेज की संख्या	अनुमानित लागत (रु. करोड़ में)
1	कुल प्रस्तावित कार्य	172	1579.35
2	परियोजना प्रतिवेदन एवं निविदा प्रपत्र अनुमोदन	136	1352.62
3	निविदायें आमंत्रित	136	1352.62
4	कार्यादेश जारी	128	1318.07
5	कार्य पूर्ण	128	1252.17

1.5 परियोजना में क्रियान्वित मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–नौ** में दिया गया है।

1.6 क्षेत्र सुधार निधि एवं सामुदायिक पहल निधि के अंतर्गत किये गये कार्य–

(1) क्षेत्र सुधार निधि के अंतर्गत क्षेत्र सुधार संबंधी भौतिक कार्य यथा–जल प्रदाय, सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सी.सी. रोड़, नाली एवं सीवर लाईन आदि के कार्य किये गये हैं।

(2) सामुदायिक पहल निधि के अंतर्गत क्षमता वर्धन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर एवं सामुदायिक भवन के निर्माण के कार्य किये गये है,जिनकी प्रगति इस प्रकार है :–

1. चारों शहरों की सभी 65 बस्तियोंमें क्षेत्र सुधार निधि के अंतर्गत 110 भौतिक कार्य एवं सामुदायिक पहल निधि के अंतर्गत सभी कार्य किये गये हैं।
2. चारों शहरों में कुल 23 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।
3 इन्दौर व जबलपुर शहरों की 06 बस्तियों में जल प्रदाय योजना के कार्य किये गये है।
4. भोपाल में 15027 मीटर सी.सी. रोड़ एवं 15120 मीटर नाली निर्माण के कार्य किये गये है।
5. इंदौर में 1100 मीटर सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण का कार्य किया गया है।
6. भोपाल में दो एवं ग्वालियर में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है।
7. ग्वालियर में मल–जल निकासी हेतु नई सीवर लाईन (150 एम.एम. एवं 200 एम.एम. व्यास) जिसकी लंबाई 3228 मीटर है, के बिछाने का कार्य किया गया है।

8. चारों शहरों में कुल 3931 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है।

9. चारों शहरों में कुल 128 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है।

10. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजिविका प्रशिक्षण के कार्य सभी बस्तियों में किये गये हैं, जिसमें मुख्यतः वस्त्र निर्माण, टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोटर ड्रायविंग, मोबाईल रिपेयरिंग, मेसन एवं प्लंबर आदिहैं। इस प्रकार कुल 45 बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से 6224 छात्रों को प्रशिक्षण के उपरांत सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त हो चुका है।

11. सी.आई.एफ. कार्यक्रम के अंतर्गतभोपाल शहर की चयनित बस्तियों में गठित सामुदायिक समूह समिति के कुल 59 सदस्यों को 01 बैच में MEPMA, हैदराबाद में शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम संपन्न कराया गया है।

12. चारो शहरों में ए.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 1076.18 लाख एवं सी.आई.एफ. में कुल राशि रूपये 187.77 लाख का व्यय किया गया है।

2. मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP)

2.1 मध्यप्रदेश शासन एवं ब्रिटिश सरकार के Department for International Development (DFID) के सहयोग से मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम (MPUIIP) प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में प्रारंभ किया गया है। परियोजना की अवधि जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2015 तक है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत कुल रूपये 220करोड़ (27.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की सहायताप्राप्त होगी, जिसमें से रूपये 160 करोड़ (20 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की वित्तीय सहायता तथा रूपये 60 करोड़ (7.4 मिलियन ब्रिटिश पौण्ड) की तकनीकी सहायता प्राप्त होगी।

2.3 वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से मध्यप्रदेश अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड की सीड केपिटल के लिये रूपये 56 करोड़ (7 मिलियन पौण्ड) की राशि प्राप्त होगी, तथा रूपये 104 करोड़ (13 मिलियन पौण्ड) विविध नगरीय सुधार कार्यो के लिये प्राप्त होंगे।

2.4 कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य

परियोजना के अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को निवेश के लिये सक्षम बनाने एवं शहरी अधोसंरचना विकास हेतु निजी निवेश आकर्षित करने तथा मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड के नाम से स्थापित निधि में सीड ग्राण्ट अंशदान के रूप में मूलभूत शहरी अधोसंरचना के विकास के साथ–साथ नगरीय निकायों को पारदर्शी, प्रभावी व कार्यक्षम प्रशासन हेतु क्षमता वर्धन सहयोग, शहरी गरीब वर्ग को मूलभूत शहरी सेवायें सुनिश्चित करना, महिला सशक्तिकरण तथा ऊर्जा दक्ष तकनीकों को प्रोत्साहन देकर विकास कार्य किये जायेंगे।

2.5 परियोजना के मुख्य घटक

क्र.	घटक	बजट प्रावधान (मिलियन ब्रिटिश पौण्ड)	राशि करोड़ में (1 पौण्ड = 80 रूपये)
1.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को बेहतर सहायता, वैधानिक सुधारों में सहायता, संस्थागत विकास, शहरी गरीबी प्रोफाइल तैयार करना, प्रदर्शन की सूचक बनाना, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक विकास में सहयोग, उपस्कर, सहायक कार्मिक उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण, संचार, जनसंपर्क रणनीति, प्रक्रिया नवीनीकरण पहल एवं एक्सपोजर भ्रमण आदि।	1.37	10.96

2.	निजी क्षेत्र को मूलभूत सेवाओं के विकास हेतु आकर्षित करने के लिये बेहतर प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का विकास करना।	7.03	56.24
3.	नगरीय निकायों के प्रदर्शन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।	10.36	82.88
4.	शहरी निर्धन समुदायों को भूमि सुरक्षा एवं बेहतर पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराना।	5.80	46.4
5.	नागरिकों को स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष शहरी सेवायें उपलब्ध कराना।	2.85	22.8
	योग	**27.40**	**219.2**

2.6 **परियोजना के अंतर्गत किये जाने वाले प्रमुख कार्य**

1. मूलभूत शहरी सेवाओं के विकास हेतु निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये सहायता

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को म.प्र. शहरी अधोसंरचना विकास निधि (MPUIF) बोर्ड के गठन हेतु सहयोग व जन निजी भागीदारी (PPP) व्यवस्था को मूर्त रूप देने संस्थागत संचालन में व्यवस्थागत सहायता।	▪ MPUIF के प्रबंधन हेतु परियोजना विकास कंपनी की स्थापना। ▪ PPP परियोजनाओं के लिये नीति तथा दिशा निर्देश। ▪ अधोसंरचना विकास प्रावधानों यथा स्वच्छ जल आपूर्ति, सीवरेज एवं स्वच्छता, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी आवागमन एवं निम्न आय वर्ग के लिये आवास विकास में सहायता।

2. नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं महिलाओं के प्रति जवाबदेह बनाना

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
वित्तीय प्रबंधन में नगरीय निकायों को दोहरा लेखा प्रणाली अपनाने हेतु सहयोग।	▪ सभी 14 नगरपालिक निगमों में दोहरा लेखा प्रणाली लागू करना। ▪ सभी 14 नगरपालिक निगमों में एकीकृत कम्प्यूटराईज्ड सॉफ्ट वेयर प्रणाली लागू करना।
राजस्व वृद्धि हेतु नगरीय निकायों को सहायता।	▪ नगरपालिक निगमों में राजस्व अभिवृद्धि हेतु जीआईएस प्रणाली का विकास। ▪ नगरपालिक निगमों में करों का युक्तियुक्तकरण।
सेवाओं में सुधार हेतु ई–गवर्नेन्स प्रणाली का क्रियान्वयन।	▪ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एवं ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम का सभी नगर निगमों में क्रियान्वयन।
महिलाओं पर होने वाली हिंसा में कमी लाने व साक्ष्य निर्धारण हेतु चार शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर) में एक्सन रिसर्च।	▪ महिला हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर नगरीय निकायों की क्षमता वृद्धि। ▪ वर्तमान सामुदायिक संगठनों की क्षमता वृद्धि। ▪ पुरूषों के नजरिये में बदलाव हेतु पुरूष/युवा दलों का गठन व प्रशिक्षण।

	■ वर्तमान में उपलब्ध महिला हिंसाओं से जुड़ी सेवाओं और समुदाय के बीच बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहभागिता। ■ मूल्यांकन एवं साक्ष्य निर्माण।

3. शहरी गरीबों की मूलभूत सेवाओं तक निर्बाध पहुंच स्थापित करने में सहयोग व वित्तीय सुरक्षा

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग की नीतियों में गरीब व महिला हितैषी परिवेश निर्माण हेतु सहयोग।	■ आवास स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले परिवेश निर्माण हेतु पहल। ■ एकीकृत प्रणाली सुधार योजना (ISIP) एवं प्रदर्शन सुधार योजना (PIP) का क्रियान्वयन।

4. ऊर्जा दक्ष शहरी सेवाओं का विकास

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
ऊर्जा दक्षता हेतु योजना।	■ वर्ष 2015 तक प्रदेश के चुनिन्दा शहरों को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिये योजनाएँ तैयार करना। ■ ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करना। ■ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन। ■ समुदाय स्तर पर सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये जनजागरूकता।

5. मूलभूत शहरी सेवाएं

प्रमुख कार्य	गतिविधियाँ
शहरी निर्धन समुदाय को मूलभूत शहरी सेवाएं उपलब्ध कराना।	■ शहरी निर्धन समुदाय की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं कटनी नगर निगमों को पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिये क्रमशः रूपये 45 लाख, 415 लाख, 209 लाख, 230 लाख एवं 216 लाख रूपये के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोपाल में योजना संबंधी कार्य पूर्ण हो गये है, तथा अन्य शहरों में कार्य प्रगति पर है।

2.7 वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत रूपये 11.22 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.8 परियोजना के ई–गवर्नेन्स घटक के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरपालिक निगमों में ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) लागू किया जाना है। वर्तमान में यह पद्धति इंदौर एवं ग्वालियर नगरनिगमों में प्रारंभ कर दी गई है। इंदौर शहर में ABPAS प्रणाली के क्रियान्वयन के

लिये भारत सरकार, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को वर्ष 2013–14 के लिये ''सूचना प्रोद्योगिकी का अभिनव प्रयोग'' श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1) जनरल बेसिक ग्राण्ट – समस्त नगरीय निकायों के लिए

(2) स्पेशल एरिया बेसिक ग्राण्ट – प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों में स्थित नगरीय निकायों के लिए अतिरिक्त रूप से

उपरोक्तानुसार अनुदान वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त अनुदान शर्त रहित है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए नगरीय निकायें स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त 9 सुधार कार्यक्रमों के लागू करने की शर्त पर परफार्मेस ग्राण्ट भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है एवं विभाग द्वारा 9 शर्तो की पूर्ति की जा चुकी है।

1.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्राण्ट की राशि रूपये 23274.43 लाख, स्पेशल ऐरिया बेसिक ग्राण्ट रूपये 197.00 लाख एवं परफार्मेस ग्राण्ट रूपये 3003.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रूपये 26474.43 लाख प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया।

2. नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि में विभाग को आयोजनेतर मदों जैसे सड़क मरम्मत, राज्य वित्त आयोग एवं मूलभूत सुविधा में प्रावधानित बजट राशि का 20 प्रतिशत भाग पृथक निधि के रूप में रखा जाकर नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये अनुदान एवं 10 प्रतिशत अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये अनुदान दिया जाता है।

2.3 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.4 वर्ष 2013–14 मेंइस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये72.97 करोड़ नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3. मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधीन प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/ बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। कंपनी में 26 प्रतिशत अंश राज्य शासन का तथा 74 प्रतिशत अंश निजी क्षेत्र की कंपनी का रखे जाने का प्रावधान है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी का गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने की संभावनाओं पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा लिये गये निर्णय के अनुशरण में नये स्वरूप में कंपनी के गठन की रूप–रेखा तैयार की जा रही है।

4. मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

5. नगर विकास योजना (CDP)

5.1 नगर विकास योजना के अंतर्गतद्वितीय चरण में कुल 258 नगरों (07 नगरपालिका परिषद एवं 251 नगर परिषद) की नगर विकास योजना तैयार की गई है, जिसे परिषद द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है।

5.2 वर्ष 2035 को ध्यान में रखते हुए 258 नगरीय निकायों के लिए तैयार की गई नगर विकास योजना के अनुसार संपूर्ण विकास हेतु कुल रूपये 33,815.81 करोड़ की आवश्यकता का आंकलन किया गया है।

5.3 विभाग द्वारा सीडीपी के अनुसार कार्य करने के निर्देश नगरीय निकायों, कलेक्टर एवं संभागीय कार्यालयों को जारी किये गये हैं।

5.4 नगर विकास योजना में चिन्हांकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य ''मुख्यमंत्री शहरी अधोसरंचना विकास योजना'' के अंतर्गत किया जा रहा है।

5.5 भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रदेश के सभी 377 नगरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार करने एवं नियोजन के क्षेत्र में किये गये सराहनीय कार्य हेतु (Urban Planning Category) वर्ष 2012–13 के लिये हडको बेस्ट प्रेक्टिस अवार्ड प्रदान किया गया है।

5.6 प्रदेश के 110 नगरों (प्रथम चरण) की नगर विकास योजना तैयार के कार्य के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को स्कॉच कंसलटेन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा ई–इन्क्लूजीव अर्बन प्लानिंग इन मध्यप्रदेश अवार्ड 2012 प्रदान किया गया है।

5.7 प्रदेश के 360 नगरों की नगर विकास योजना तैयार करने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को "Manthan Award South Asia & Asia Pacific 2013" प्रदान किया गया है।

6. रैनबसेरा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बाहर से आने वाले शहरी गरीबों के रात्रि विश्राम के लिये रैनबसेरों के निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 24 बड़े शहरों में रैनबसेरों के निर्माण के लिये विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। जिन शहरों में पूर्व से ही रैनबसेरे निर्मित हैं, उन रैनबसेरों में आवश्यक बुनियादी सुविधायें जैसे– प्रकाश, पानी, शौचालय, लाकर आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही पुरूष एवं महिलाओं के अलग–अलग रहने की व्यवस्था है।इन 24 शहरों में से ऐसे शहरों में जहॉ रैनबसेरे निर्माणाधीन है, वहॉ अस्थाई रैनबसेरों की व्यवस्था नगरीय निकायों द्वारा की गई है।

7. सिंहस्थ, 2016

7.1 राज्य शासन द्वारा सिंहस्थ, 2016 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिये दिनांक 13.10.2011 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि–परिषद समिति का गठन किया गया था,जिसका पुनर्गठन दिनांक 25.01.2014 को किया गया है।सिंहस्थ, 2016 से संबंधित कार्य योजना तैयार करने, निर्माण कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सामग्री खरीदी के लिये दिनांक 17.10.2011 को संभागायुक्त उज्जैन की अध्यक्षता में समिति का भी गठन किया गया है।

7.2 समिति द्वारा सिंहस्थ, 2016 की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। संबंधित विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 31.03.2014 तक राशि रूपये 311.00 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। सिंहस्थ के अंतर्गत विभागवार स्वीकृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ में)

क्र	विभाग	कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि	पूर्ण कार्य	प्रचलित कार्य	अप्रारंभ कार्य	आवंटित राशि	व्यय राशि
1.	लो.नि.विभाग (भ/प)	11	91.73	0	8	3	29.85	18.60
2.	लो.नि.विभाग(ई.एण्ड एम.)	1	3.00	0	1	0	2.57	1.02
3.	लो.नि.विभाग (सेतु)	10	142.68	0	7	3	49.78	23.30
4.	जल संसाधन विभाग	19	226.97	4	8	7	114.00	4.50
5.	लो.स्वा.यां. (ग्रामीण)	7	28.15	0	0	7	0.00	0.00
6.	नगर निगम, उज्जैन	14	121.11	0	5	9	67.72	44.49
7.	लो.स्वा.यां. नगर निगम, उज्जैन	7	14.17	0	0	7	0.00	0.00
8.	म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कंपनी	15	34.77	11	4	0	16.09	14.81

9.	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम	2	12.00	0	2	0	6.50	0.28
10.	सिंहस्थ मेला प्राधिकरण	3	16.00	0	0	3	6.00	4.15
11.	गृह विभाग(पुलिस अधीक्षक)	4	14.00	0	0	4	11.99	0.00
12.	गृह विभाग (होमगार्ड)	4	1.58	0	4	0	1.50	0.15
13.	स्वास्थ्य विभाग	2	15.00	0	0	2	5.00	0.00
14.	धर्मस्व/राजस्व विभाग	6	7.50	0	5	1	0.00	0.64
योग		**105**	**728.66**	**15**	**44**	**46**	**311.00**	**111.94**

8. करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 में गत वर्ष के राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशःप्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जायेंगे।

9. प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

9.1 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में Mass Rapid Transit System (Metro) हेतु DPR निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सलाहकार फर्म द्वारा DPR निर्माण के प्रथम चरण में Inceptionप्रतिवेदन प्रस्तुत कर उभय शहरों के लिये Light Metro System एवं Route Network प्रस्तावित किया गया है। भोपाल एवं इंदौर के लिये प्रस्तावित System देश का प्रथम Light Metro System है।

9.2 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों की भांति जबलपुर के लिये भी Mass Rapid Transit System (Metro) हेतु परियोजना हेतु प्री–फिजिबिलिटी सर्वे कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

9.3 प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों भोपाल,इंदौर, जबलपुर, ग्वालियरएवं उज्जैन में शहर स्तरीय यूनिफाईड मेट्रोपालिटन ट्रांसपोर्ट काउंसिल गठन हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

9.4 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु, राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) एवं शहर स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (C-DUTF) के गठन हेतु अनुमोदन किया जाकर S-DUTF एवं C-DUTF हेतु क्रमशः राशि रूपये 50 करोड़ एवं 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9.5 प्रदेश के 04 मिशन शहरों में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के मिशन शहरों के साथ–साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों में लोक परिवहन सेवा का विस्तार एवं विकास किये जाने हेतु लगभग 1500 बसों के प्रोक्योरमेंट हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा इंदौर के लिये 170, जबलपुर के लिये 136, देवास के लिये 38, बुरहानपुर के लिये 30, छिन्दवाड़ा के लिये 60, कटनी के लिये 76, सागर के लिये 40 एवं गुना के लिये 50 इस प्रकार कुल 600 बसें स्वीकृत की गई है। शेष शहरों के लिये आगामी चरण में बसें स्वीकृत की जायेगी। इस प्रकार वर्तमान चार शहरों के अतिरिक्त 06 नये शहरों को मिलाकर कुल 10 शहरों में स्तरीय लोक परिवहन सेवा का विकास एवं विस्तार सुनिश्चित हो सकेगा।

9.6 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई है।

9.7 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग एवं लोक परिवहन नियोजन में समन्वय किये जाने हेतु क्रमशः राज्य शहरी विज्ञापन नीति एवं State Transit Oriented Development Policy तैयार की जा रही है।

9.8 प्रदेश के चार प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर के लिये Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार किया गया है।

9.9 विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न शहरों में से भोपाल शहर का चयन TOD, DUTF एवं UMTA पॉयलेट परियोजना हेतु तथा भोपाल एवं इंदौर शहरों का चयन Evaluation of City Bus System परियोजना के लिये किया गया है।

9.10 देश में प्रथम स्टेट ऑफ द आर्ट Traffic Information And Management Information Centre (TIMCC) की पायलेट परियोजना हेतु डीपीआर तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की गई है।

9.11 प्रदेश के पांच शहर भोपाल, इंदौर जबलपुर, उज्जैन एवं ग्वालियर के लिये Parking, Advertisement, Public Transport , एवं TOD Master Plan तैयार किया जा रहा है।

9.12 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5 के अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 10 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

9.13 इंदौर शहर में बीआरटीएस नेटवर्क का विस्तार किये जाने हेतु भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से JNNURM के अंतर्गतरूपये 600 करोड़ की रिवर साईड बीआरटीएस कॉरिडोर परियोजना स्वीकृत कराई गई है।

9.14 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक द्वारा Global Environment Facility (GEF) के अंतर्गत इंदौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतुरूपये 58 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

9.15 प्रदेश के समस्त नगरों, विशेषकर जिला मुख्यालय के शहरों के लिये CMP तैयार किये जाने के लिये आर्थिक सहयोग प्रदाय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तारतम्य में आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है तथा सहमति के उपरांत भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर प्रदेश के उक्त नगरों के लिये CMP तैयार किया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जिलों में CMP तैयार करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

9.16 Eco- Friendly एवं प्रदूषण रहित लोक परिवहन सेवा के क्रियान्वयन हेतु मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MANIT) भोपाल एवं नगर परिषद, गौतमपुरा का चिन्हांकन किया गया है। शीघ्र ही उभय स्थलों पर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा परियोजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

9.17 प्रदेश के शहरों में Stack पार्किंग पायलेट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। भोपाल में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के उपरांत प्रदेश के अन्य शहरों में भी Stack पार्किंग का विस्तार किया जाएगा।

9.18 शहरी लोक परिवहन व्यवस्था हेतु Automatic Fare Revision Policy का प्रस्ताव तैयार किया गया है,जिसके माध्यम से शहरी लोक परिवहन के टिकट की दरों को ईंधन के मूल्य, थोक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि इत्यादि घटकों से जोड़ा गया है,जिससे शहरी लोक परिवहन की वित्तीय संवहनीयता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आवश्यकतानुसार राज्य शासन को Viability Gape Funding हेतु राशि निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होगी।

10. शहरी सुधार कार्यक्रम

10.1 प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' तैयार की गई है, जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा 12.12.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार है :–

क्र.	घटक	प्रगति
1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टी लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	40 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 15 निकायों में कार्य प्रगति पर है
2.	नगरीय निकायों में ई–प्रशासन स्थापित करना।	इस हेतु राज्य स्तर पर ''ई–नगरपालिका'' साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है तथा निविदाएं जारी की गयी हैं।
3.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	वर्तमान में 37 निकायों में कार्य प्रगति पर है।
4.	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं का प्रावधान।	इस हेतु नगरीय निकायों के बजट में 25 प्रतिशत की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
5.	प्रशासनिक एवं संरचनात्मक सुधार।	1. नगर निगमों तथा नगर पालिका/परिषदों के लिये आदर्श कार्मिक संरचना लागू की गयी है। 2. नगरीय निकायों के लिए नवीन राज्य स्तरीय ''म.प्र.नगरीय वित्त सेवा'' गठित की गयी है। 3. पूर्व से प्रचलित म.प्र. नगरीय प्रशासनिक,यांत्रिकी तथा स्वास्थ्य सेवा का पुनर्गठन किया गया है। 4. संचालनालय के पुनर्गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लियेसंचालनालय स्तर पर **''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश ''** के नाम से एक पृथक बैंक खाताखोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी 20 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 14,022 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 10.64 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना के अंतर्गतपेंशन के कुल 1135 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें पेंशन/परिवार पेंशन एवं उपदान के रूप में प्रथम भुगतान पर कुल रूपये 32.03 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 119.31 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों में दिनांक 01.01.2005 अथवाउसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों/नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर परिषदों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान कुल 1105 अधिकारियों/कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उन कर्मचारियों के Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये परिवार कल्याण निधि योजना

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के नियमित वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए माह अक्टूबर, 1987 से ''परिवार कल्याण योजना'' लागू की गई है।

3.2 इस योजना का संचालन आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के स्तर पर पृथक से निधि का सृजन कर किया जा रहा है।योजना के अंतर्गत संचालनालय स्तर पर **''संचालक, स्थानीय निकाय, परिवार कल्याण निधि योजना''** के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें नगरीय निकायों/अधीनस्थ कार्यालयोंमें कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से मासिक अभिदान की राशि प्राप्त कर जमा की जाती है।

3.3 **योजना के अंतर्गत मासिक अभिदान राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–**

क्रमांक	कर्मचारी की श्रेणी	मासिक अभिदान राशि (रूपयों मे)
1.	प्रथम श्रेणी	160.00
2.	द्वितीय श्रेणी	120.00
3.	तृतीय श्रेणी	100.00
4.	चतुर्थ श्रेणी	60.00
5.	सफाई कामगार	30.00

3.4 उपरोक्तानुसार योजना में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के दावेदार को अधिमान्य क्रम के अनुसार क्रमशः रूपये 1.60 लाख, 1.20 लाख, 1.00 लाख, 60,000.00 और 30,000.00 का भुगतान किया जाता है तथा सेवानिवृति उपरांत अभिदाता के खाते में जमा वास्तविक अभिदान राशि और उस पर देय अंशदान की राशि का भुगतान किया जाता है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजना के अंतर्गत कुल 826 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 2.53 करोड़ का भुगतान किया गया है।

3.6 नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन के द्वारा अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये इस योजना का क्रियान्वयन स्वयं के स्तर पर किया जा रहा है।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति मेंरूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पररूपये 1,00,000.00 सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2013–2014 में कुल 152 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 72.55 लाख का भुगतान किया गया है।

———

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74 वे संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है।

1.2 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों/नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जनप्रनिधियों को प्रशिक्षित कर उनमें नगरीय प्रबंधन एवं अभिशासन का समसामयिक ज्ञान एवं कौशल विकसित कर नगरीय सेवाओं को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

1.3 मंत्रीपरिषद की बैठक दिनांक 12 फरवरी 2013 द्वारा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान, भोपाल की स्थापना का निर्णय लिया गया है। मंत्रीपरिषद के अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत संस्थान का पंजीकरण मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है एवं संस्थान का पंजीयन क्रमांक 01/01/01/27260/13 है।

1.4 विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग के अनुसार राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान तथा अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से दिनांक 31 जनवरी 2014 की स्थिति में कुल 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कियेगये, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ नगरीय निकायों के विभिन्न स्तरों के कुल 1156 अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस प्रकार प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 24 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

1.5 उपरोक्तानुसार आयोजित किये गये कुल 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान द्वारा किया गया, जिसमें 505 प्रतिभागियों को नामांकित कर प्रशिक्षित किया गया। साथ ही संस्थान द्वारा दिनांक 1–2 जून 2013 की अवधि में क्षमता संवर्धन रणनीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में कुल 35 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

1.6 राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता वृद्वि के साथ–साथ उपलब्ध मानवीय संसाधन को विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु भी प्रेरित किया जाता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा संचालनालय, संभागीय कार्यालय और नगरीय निकायोंके कम्प्यूटरीकरण का वृहत कार्यक्रम लागू किया गया है।मध्यप्रदेश अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेन्ट कार्यक्रम के अंतर्गत संचालनालय और उसके सभी संभागीय कार्यालयों की कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्थाकी गई है। इसी प्रकार परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी नगरपालिक निगमों को भी उनकी आवश्यकता का आंकलन करने के बाद कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये गये हैं।

2.2 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.3 विभाग द्वारा संचालनालय और बड़े नगर पालिक निगमों के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है।

2.4 **नगर पालिक निगम, भोपाल में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)** को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम एवं समस्त कार्यप्रणाली कम्प्यूटरीकृत की गई है। उक्त प्रणाली लागू होने से नागरिक अपने करों एवं उपभोक्ता प्रभारों का भुगतान ऑन लाईन कर रहे हैं। भविष्य में इस प्रणाली को अन्य बड़े नगरों में भी लागू करने की योजना है।

2.5 **अर्बन सेक्टर मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (USMIS)** के अंतर्गत संचालनालय, संभागीय कार्यालयों एवं नगर निगमों को सूचनाओं तथा जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु परस्पर जोड़ा गया है। इस परियोजना के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को संचालनालय से जोड़ने हेतु डाटाबेस तैयार किया गया है।

2.6 USMIS के अंतर्गत वर्तमान में नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन, यूआईडीएसएसएमटी तथा पेंशन प्रकोष्ठ को ऑनलाईन कर दिया गया है।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

3.1 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है।वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

5. स्थानीय निकाय सेवा दिवस

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवम्बर को स्थानीय निकाय सेवा दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर प्रदेश की समस्त नगरीय निकायें अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसके अंतर्गत समस्त कर्मचारी निर्धारित गणवेश में, समस्त उपकरणों, वाहनों तथा अन्य साजो–सामान का चल प्रदर्शन करते हैं। इस चल प्रदर्शन में संबंधित निकाय के महापौर/अध्यक्ष तथा आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं।

5.2 स्थानीय निकाय सेवा दिवस को संबंधित निकायों द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में विकास प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण विकास कार्यो का प्रदर्शन किया जाता है तथा संध्याकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है।

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन

वर्ष 2013–14 के दौरान 04 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु वार्ड विभाजनतथा वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराई गई।

7. विभागीय नियुक्तियां, पदोन्नतियां,स्थानांतरण एवं कार्मिक संरचना

7.1 प्रदेश के नगरीय निकायों को तकनीकी सहायता और परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के उद्देश्य से विभाग द्वारा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 305 उपयंत्रियों के चयन की कार्यवाही की गई, जिनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

7.2 वर्ष 2013–14 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न संवर्गो में स्वीकृत पदों पर की गई पदोन्नतियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	पद जिससे पदोन्नति हुई	पदोन्नत किये जाने वाले पद का नाम	कुल पदोन्नत अधिकारियों की संख्या
1.	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री	02
2.	अधीक्षक	सहायक संचालक	01
3.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी 'ग'	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी 'ख'	01
4.	राजस्वनिरीक्षक / लेखापाल / राजस्व उप निरीक्षक	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी 'ग'	11
5.	स्वच्छता निरीक्षक	स्वास्थ्य अधिकारी	02

7.3 वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न श्रेणी के कुल 144 अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये।

7.4 वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के अंतर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों की आदर्श कार्मिक संरचना जारी की गई।

7.5 विभाग के अंतर्गत संचालनालय एवं संभागीय कार्यालयों की पुनर्गठन की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

8. नगरीय निकायों का अंकेक्षण

8.1 नगरीय निकायों का अंकेक्षण संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र. द्वारा किया जाता है।

8.2 वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभाग द्वारा प्रथम बार महालेखाकार की लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिये ''उच्च अधिकार प्राप्त समिति'' का सफलतापूर्वक आयोजन कराया गया, जिसमें वर्ष 2000–01 से मार्च 2013 तक किये गये आडिट प्रतिवेदनों पर विचार किया जाकर निम्नानुसार कंडिकाओं का निराकरण किया गया :–

क्र.	संभाग का नाम	कुल लंबित कंडिकाओं की संख्या	प्रस्तुत की गई कंडिकाओं की संख्या	निराकृत की गई कंडिकाओं की संख्या
1.	संचालनालय	31	25	18
2.	भोपाल एवं होशंगाबाद	585	445	331
3.	इंदौर	910	589	372
4.	उज्जैन	892	719	309
	योग	**2418**	**1778**	**1030**

8.3 लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की 07 कंडिकाएं लंबित थी, जिसमें से 01 कंडिका निराकृत की गई है।

9. विधि विषयक कार्य

वित्तीय वर्ष 2013–14के दौरान विभाग द्वारा प्रशासित निम्नांकित अधिनियमों/नियमों में संशोधन किये गयेः–

9.1 मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 के नियम 2, 7, 10, 12 तथा 14 में संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 22.04.2013 को किया गया।

9.2 मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980 के नियम 3 एवं 4 में संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01.05.2013 को किया गया।

9.3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम, 1998 के नियम 15क में संशोधन किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03.09.2013 को किया गया।

9.4 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3(1) के अंतर्गत मतदाता सूची के प्रारूप 1 को संशोधित किया गया, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 06.09.2013 को किया गया।

10. मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग

10.1 प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के हितों तथा अधिकारों को बढ़ावा देने तथा सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष सहित चार सदस्य हैं।

10.2 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य शासन द्वारा 03 वर्ष अथवा मनोनयन वापस लेने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाता है। आयोग के कार्यालय के प्रशासकीय अमले की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाती है।

10.3 आयोग द्वारा प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिये सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिये समयबद्ध कार्ययोजना बनाने, सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्ययोजना बनाने एवं शिकायतों आदि की जांच करने के कार्य किये जा रहे हैं।

10.4 उपरोक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम, 1993 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने व उक्त संबंध में राज्य शासन को सुझाव देने का कार्य भी किया जा रहा है।

———————

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1.	आयुक्त	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
2.	अपर संचालक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
3.	संयुक्त संचालक	2	–	2	2	–	2	–	–	–	
4.	संयुक्त संचालक (वित्त सेवा)	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
5.	उप संचालक	4	–	4	4	–	4	–	–	–	
6.	सहायक संचालक	3	–	3	3	–	3	–	–	–	
7.	सांख्यिकी अधिकारी	1	–	1	–	–	–	1	–	1	
8.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	3	–	3	3	–	3	–	–	–	
9.	अधीक्षक	2	–	2	–	–	–	2	–	2	
10.	सहायक अधीक्षक	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
11.	वरिष्ठ सहायक	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
12.	लेखा अधिकारी एस.ए.एस	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
13.	लेखा अधिकारी/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी	2	–	2	1	–	1	1	–	1	
14.	चुंगी लेखापाल एस.ए.एस.	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
15.	वरिष्ठ निज सहायक ग्रेड–1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
16.	निज सहायक ग्रेड–2	2	–	2	1	–	1	1	–	1	पद के विरूद्ध वेतन आहरण
17.	शीघ्र लेखक ग्रेड–3	5	–	5	5	–	5	–	–	–	
18.	सहायक ग्रेड–1	19	–	19	19	–	19	–	–	–	
19.	लेखापाल	7	–	7	–	–	–	7	–	7	
20.	सहायक ग्रेड–2	15	–	15	15	–	15	–	–	–	
21.	स्टेनोटायपिस्ट	3	–	3	2	–	2	1	–	1	
22.	सहायक ग्रेड–3	30	–	30	21	–	21	9	–	9	
23.	वाहन चालक	5	2	7	6	–	6	–	2	2	एक नियमित वाहन चालक सांख्येत्तर होने से अधिक है।
24.	दफ्तरी	4	–	4	3	–	3	1	–	1	
25.	भृत्य	16	–	16	13	–	13	3	–	3	
26	फर्राश सह चौकीदार	7	–	7	8	–	8	–	–	–	1 नियमित फर्राश सह चौकीदार सांख्येत्तर होने से अधिक है।
27	हेल्पर	1	2	3	1	–	1	–	2	2	
	चौकीदार	–	1	1	–	–	–	–	1	1	
योगः–		140	5	145	115	–	115	27	5	32	

————————

संभागीय उप संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

क्र	पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद			रिक्त पद			रिमार्क
		नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	नियमित	कांटिजेन्सी	कुल	
1	उप संचालक	7	—	7	7	—	7	—	—	—	प्रतिनियुक्ति से भरे हैं
2	सहायक अधीक्षक	7	—	7	5	—	5	2	—	2	
3	सहायक वर्ग–1	21	—	21	19	—	19	2	—	2	
4	लेखापाल	7	—	7	2	—	2	5	—	5	
5	सहायक वर्ग–2	21	—	21	21	—	21	—	—	—	
6	सहायक वर्ग–3	28	—	28	10	—	10	18	—	18	
7	स्टेनो–टायपिस्ट	7	—	7	3	—	3	4	—	4	
8	वाहन चालक	3	—	3	1	—	1	2	—	2	
9	भृत्य	14	—	14	11	—	11	3	—	3	
योग		115	—	115	79	—	79	36	—	36	

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ,मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृतपद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	प्रमुख अभियंता	1	0	1	
2.	मुख्य अभियंता	1	1	0	
3.	अधीक्षण यंत्री	3	3	0	
4.	कार्यपालन यंत्री	6	6	0	
5.	सहायक यंत्री	6	6	0	
6.	प्रशासकीय अधिकारी	1	1	0	
7.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	3	3	0	
8.	सहायक संचालक	1	1	0	
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	1	0	1	
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	2	2	0	
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	0	13	
12.	सहायक अधीक्षक	1	0	1	
13.	सहायक वर्ग–1	10	0	10	
14.	लेखापाल	1	1	0	
15.	सहायक वर्ग–2	10	5	5	
16.	मानचित्रकार	2	2	0	
17.	स्टेनो टायपिस्ट	1	1	0	
18.	अंग्रेजी टायपिस्ट	1	0	1	
19.	ट्रेसर	1	1	0	
20.	सहायक वर्ग–3/डाटा ऐंट्री आपरेटर	20	10	10	
21.	व्यवस्थापक	1	1	0	
22.	वाहन चालक	17	17	0	
23.	भृत्य	11	11	0	
24.	चेनमेन	1	1	0	
25.	माली	3	2	1	
26.	चौकीदार	8	8	0	
27.	सफाई कामगार	6	2	4	
28.	मॉडलर	2	1	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
29.	पंप अटेंडेंट	1	0	1	
30.	इलेक्ट्रिशियन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
31.	वाटरमेन	1	0	1	दै.वे.भो. कर्मचारी कार्यरत
	योग–	137	86	51	

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10	
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10	
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	2	2	0	
4.	सहायक यंत्री	20	9	11	
5.	मानचित्रकार	7	7	0	
6.	ट्रेसर	7	4	3	
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0	
8.	वाहन चालक	7	1	6	
9.	भृत्य	14	14	0	
10.	चौकीदार	8	4	4	
	योग	109	65	44	

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**भरे पद**	**रिक्त पद**	**रिमार्क**
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	–''–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	7	31	–''–
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–''–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	–''–
8	सामुदायिक संगठक	388	256	132	संविदा (रूपये 4500 प्रतिमाह)
	योग	**736**	**387**	**349**	

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	5. करेरा 6. कोलारस 7. खनियाधाना 8. पिछोर 9. बदरवास 10. नरवर 11. बैराड ☆
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	12. चाचौडाबीनागंज 13. आरोन 14. कुंभराज
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	15. मुंगावली 16. ईसागढ 17. शाढौरा ☆
	5. दतिया		7. दतिया	18. भांण्डेर 19. इंदरगढ़ 20. सेवड़ा 21. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	22. मेहगांव 23. लहार 24. गोरमी 25. अकोड़ा 26. मिहोना 27. आलमपुर 28. दबोह 29. मौ 30. फूफकलां
	7. मुरैना		10. मुरैना 11. अम्बाह 12. पोरसा 13. सबलगढ़	31. जौरा 32. कैलारस 33. झुण्डपुरा 34. बामौर
	8. श्योपुरकलां		14. श्योपुरकलां	35. विजयपुर 36. बड़ौदा
3. इंदौर	9. इंदौर	2. इंदौर		37. देपालपुर 38. सांवेर 39. गौतमपुरा 40. बेटमा 41. राऊ 42. हातौद 43. मानपुर 44. महुगांव
	10. धार		15. धार 16. मनावर 17. पीथमपुर	45. राजगढ़ 46. कुक्षी 47. बदनावर 48. धरमपुरी

				49. धामनौद 50. सरदारपुर 51. मांडव 52. डही
	11. बड़वानी		18. सेंधवा 19. बड़वानी	53. अंजड़ 54. राजपुर 55. खेतिया 56. पानसेमल 57. पलसूद
	12. झाबुआ		20. झाबुआ	58. थांदला 59. पेटलावद 60. रानापुर 61. मेघनगर☆
	13. अलीराजपुर		21. अलीराजपुर	62. जोबट 63. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		22. खरगौन 23. सनावद 24. बड़वाह	64. मण्डलेश्वर 65. कसरावद 66. भीकनगांव 67. महेश्वर 68. करही एवं ☆ पांडल्याखुर्द
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	3. खंडवा		69. मूंदी 70. पंधाना 71. ओंकारेश्वर 72. छनेरा
	16.बुरहानपुर	4.बुरहानपुर	25. नेपानगर	73. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	5. उज्जैन	26. बड़नगर 27. महिदपुर 28. खाचरोद 29. नागदा	74. तराना 75. उन्हेल 76. माकडोन
	18 नीमच		30. नीमच	77. मनासा 78. रामपुरा 79. जावद 80. जीरन 81. रतनगढ़ 82. सिंगोली 83. डिकेन 84. कुकड़ेश्वर 85. नयागांव ☆ 86. अठाना ☆ 87. सरवनिया महाराज ☆
	19. देवास	6. देवास		88. कन्नौद 89. सोनकच्छ 90. खातेगांव 91. हाटपिपल्या 92. बागली 93. भौरासा 94. करनावद 95. काटाफोड़ 96. लोहारदा 97. सतवास 98. टोंकखुर्द 99. पिपलरंवा 100. नेमावर☆

	20. शाजापुर		31. शाजापुर 32. शुजालपुर	101. मक्सी 102. अकोदिया 103. पोलायकलां 104. पानखेडी ☆
	21. आगर		33. आगर	105. नलखेड़ा 106. बडौद 107. कानड़ 108. सुसनेर 109. सोयतकलां 110. बड़ागांव
	22. रतलाम	7. रतलाम	34. जावरा	111. ताल 112. सैलाना 113. आलोट 114. नामली 115. बड़ावदा 116. पिपलौदा 117. धामनौद
	23. मंदसौर		35. मंदसौर	118. शामगढ़ 119. सीतामऊ 120. पिपल्यामंडी 121. नारायणगढ़ 122. मल्हारगढ़ 123. भानपुरा 124. नगरी 125. गरोठ 126. सुवासरा
5. भोपाल	24. भोपाल	8. भोपाल	36. कोलार 37. बैरसिया	
	25. सीहोर		38. सीहोर 39. आष्टा	127. इछावर 128. बुदनी 129. जावर 130. नसरूल्लागंज 131. रेहटी 132. कोठरी 133. शाहगंज
	26. रायसेन		40. रायसेन 41. बेगमगंज 42. मण्डीदीप	134. औबेदुल्लागंज 135. सुल्तानपुर 136. बरेली 137. बाड़ी 138. सांची 139. उदयपुरा 140. सिलवानी 141. गैरतगंज
	27. विदिशा		43. विदिशा 44. गंज बासौदा 45. सिरोंज	142. कुरवाई 143. लटेरी 144. शमशाबाद
	28. राजगढ़		46. राजगढ 47. नरसिंहगढ़ 48. सारंगपुर 49. ब्यावरा	145. जीरापुर 146. कुरावर☆ 147. खिलचीपुर 148. तलेन 149. बोड़ा 150. खुजनेर 151. पचोर 152. सुठालिया 153. माचलपुर

				154. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		50. होशंगाबाद 51. इटारसी 52. सिवनीमालवा 53. पिपरिया	155. बाबई 156. सोहागपुर
	30. हरदा		54. हरदा	157. टिमरनी 158. खिड़किया
	31. बैतूल		55. बैतूल 56. आमला 57. सारणी 58. मुलताई	159. बैतूल बाजार 160. भैंसदेही 161. आठनेर 162. चिचोली
7. सागर	32. सागर	9. सागर	59. बीना इटावा 60. खुरई 61. गढ़ाकोटा 62. रेहली 63. देवरी	163. राहतगढ़ 164. बंडा 165. शाहपुर 166. शाहगढ
	33. दमोह		64. दमोह 65. हटा	167. तेंदुखेड़ा 168. पथरिया 169. हिन्डोरिया 170. पटेरा ☆
	34. पन्ना		66. पन्ना	171. अमानगंज 172. देवेन्द्र नगर 173. अजयगढ़ 174. ककरहटी 175. पवई
	35. छतरपुर		67. छतरपुर 68. नौगांव 69. महाराजपुर	176. धुवारा 177. सटई 178. बारीगढ़ 179. बिजावर 180. गढ़ीमल्हरा 181. बक्सवाहा 182. चंदला 183. बड़ामल्हरा 184. हरपालपुर 185. लवकुशनगर 186. खजुराहो 187. राजनगर
	36. टीकमगढ़		70. टीकमगढ़	188. निवाड़ी 189. पृथ्वीपुर 190. बल्देवगढ़ 191. खरगापुर 192. पलेरा 193. जैरोनखालसा 194. तरीचरकलां 195. जतारा 196. लिधोराखास 197. बड़ागांव 198. कारी 199. ओरछा
8. रीवा	37. रीवा	10. रीवा		200. बैंकुंठपुर 201. मउगंज 202. त्यौंथर 203. हनुमना 204. चाकघाट

				205. गोविन्दगढ. 206. नईगढ़ी 207. सिरमौर 208. मनगवां 209. सेमरिया 210. गुढ़
	38. सीधी		71. सीधी	211. चुरहट 212. रामपुरनेकिन 213. मझोली
	39. सिंगरौली	11.सिंगरौली		
	40. सतना	12.सतना	72. मैहर	214. नागौद 215. बिरसिंहपुर 216. जैतवारा 217. कोटर 218. कोठी 219. अमरपाटन 220. रामपुर–बघेलान 221. उचेहरा 222. चित्रकूट 223. न्यू रामनगर ☆
9. शहडोल	41. शहडोल		73. शहडोल 74. धनपुरी	224. बुढ़ार 225. ब्यौहारी 226. जयसिंहनगर 227. खाण्ड
	42.अनूपपुर		75. अनूपपुर 76. कोतमा 77. पसान 78. बिजूरी	228. जैतहरी 229. अमरकंटक
	43. उमरिया		79. उमरिया 80. पाली	230. चंदिया 231. नौरोजाबाद
	44. डिण्डोरी			232. डिण्डोरी 233. शाहपुरा
10. जबलपुर	45. जबलपुर	13. जबलपुर	81. पनागर 82. सिहोरा	234. बरेला 235. भेड़ाघाट 236. शाहपुरा 237. पाटन 238. मझौली 239. कटंगी
	46. कटनी	14. मुड़वारा कटनी		240. बरही 241. कैमोर 242. विजयराधवगढ़
	47. बालाघाट		83. बालाघाट 84. वारासिवनी 85. मलाजखंड	243. कटंगी 244. बैहर 245. लांजी
	48 छिन्दवाड़ा		86. छिन्दवाड़ा 87. पांढुर्ना 88. जुन्नारदेव जामई) 89. डोगर परासिया 90. दमुआ 91. चौरई 92. अमरवाड़ा 93. सौंसर	246. हर्रई 247. लोधीखेड़ा 248. न्यूटन चिखली 249. चांदामेटा बुटारिया 250. मोहगांव 251. बडकुही

				252. पिपलानारायण वार 253. बिछुआ ☆ 254. चांद ☆
	49 नरसिंहपुर		94. नरसिंहपुर 95. गाडरवारा 96. करेली 97. गोटेगांव	255. तेंदूखेड़ा 256. सालीचौका ☆ 257. सांईखेडा ☆ 258. चीचली ☆
	50. सिवनी		98. सिवनी	259. लखनादौन 260. बरघाट
	51. मंडला		99. मंडला 100. नैनपुर	261. बम्हनीबंजर 262. निवास 263. बिछिया

नगर पालिक निगम	**14**
नगरपालिका परिषद	**100**
नगर परिषद	**263**
योग	**377**

☆ नवगठित 17 नगर परिषदें, जहां निकाय के गठन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2013–14 का बजट प्रावधान तथा व्यय

(आयोजना) (रूपये लाख में)

मांग सं.	शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान				व्यय			
				सामान्य	एससीए सपी	टीएसपी	योग	सामान्य	एससीएसपी	टीएसपी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
केंद्र प्रवर्तित योजनायें											
22	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्थापना व्यय	80.00	0.00	0.00	***80.00***	61.69	0.00	0.00	***61.69***
75	2217	5126	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	2282.82	472.46	211.72	***2967.00***	1532.86	236.23	105.86	***1874.95***
75	2217	9206	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली कार्यक्रम	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	6154	राजीव आवास योजना	9290.00	305.00	405.00	***10000.00***	2023.66	0.00	0.00	***2023.66***
बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं											
22	2217 4217 6217	7905/ 7986	नगर निगमों में मूलभूत सुविधा का विकास	5120.00	1280.00	0.00	***6400.00***	1562.88	342.18	0.00	***1905.06***
केंद्रीय अंशदान प्राप्त योजनाएं											
75	2217	6981	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन	22915.00	13125.00	1960.00	***38000.00***	15475.20	8732.29	1304.57	***25512.06***
75	2217	6982	एकीकृत शहरी एवं मलीन बस्ती विकास कार्यक्रम	8719.00	3300.00	230.00	***12249.00***	2515.75	670.36	0.00	***3186.11***
राज्य योजनायें											
75	2217	6047	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	20.00	0.00	0.00	***20.00***	20.00	0.00	0.00	***20.00***
75	2217	179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.00	78.40	0.00	***78.40***	0.00	78.40	0.00	***78.40***
75	2217	5726	म.प्र.शहरी अधोसरंचना कोष	800.00	0.00	0.00	***800.00***	800.00	0.00	0.00	***800.00***
75	2217	5864	हाथ ठेला एवं सायकल रिक्शा कल्याण योजना	400.00	0.00	0.00	***400.00***	400.00	0.00	0.00	***400.00***

22	2217	6008	ऐम्स क्षेत्रों के नालो का डायवर्शन	700.00	0.00	0.00	***700.00***	600.00	0.00	0.00	***600.00***
22	2217	6022	मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे	1000.00	0.00	0.00	***1000.00***	487.62	0.00	0.00	***487.62***
22	2217	8163	नगर विकास योजना	400.00	0.00	0.00	***400.00***	280.00	0.00	0.00	***280.00***
75	2217	6024	शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना	125.00	275.00	0.00	***400.00***	125.00	275.00	0.00	***400.00***
22	2217	6028	आइ. एल. सी.एस (राज्यांश)	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	6221	इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स	54871.11	3465.00	690.00	***59026.11***	45106.67	2651.64	690.00	***48448.31***
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये अनुदान	12500.00	2500.00	0.00	***15000.00***	12500.00	2500.00	0.00	***15000.00***
75	2217	6298	ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2010	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7056	अग्निशमन सेवायें	1300.00	0.00	0.00	***1300.00***	1300.00	0.00	0.00	***1300.00***
22	2217	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल कार्यक्रम	7030.00	1800.00	270.00	***9100.00***	6949.96	1800.00	270.00	***9019.00***
22	2217	7144	मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	6466.57	873.10	550.34	***7890.01***	6975.23	873.10	550.34	***7398.67***
22	2217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	500.00	0.00	0.00	***500.00***	350.00	0.00	0.00	***350.00***
22	2217	7146	मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यक्रम	7130.00	1800.00	270.00	***9200.00***	6970.53	1800.00	270.00	***9040.053***
75	2217	7148	अयोध्या बस्ती का विकास	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7171	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (हितग्राही मूलक)	300.00	0.00	0.00	***300.00***	300.00	0.00	0.00	***300.00***
75	2217	7172	शहरी फेरीवालों की कल्याण योजना (अधोसंरचना विकास)	200.00	0.00	0.00	***200.00***	200.00	0.00	0.00	***200.00***
75	2217	5368	अर्बन स्टेटिक्स फॉर एच आर एण्ड असेसमेंट (उषा)	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	7046	झीलों एवं तालाबों का संरक्षण एवं विकास	1625.00	0.00	0.00	***1625.00***	985.00	0.00	0.00	***985.00***

22	2217	7239	म.प्र. अर्बन इंफास्ट्रक्चर एण्ड इनवेस्ट प्रोग्राम	4538.00	275.00	0.00	***4813.00***	1092.89	30.00	0.00	***1122.89***
22	2217	7029	राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान	1840.00	3.75	2.50	***1846.25***	932.92	375.00	2.50	***939.17***
22	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	0.01	30.00	10.00	***40.01***	0.00	14.74	9.40	***24.14***
22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे अध्ययन	865.00	0.00	0.00	***865.00***	412.08	0.00	0.00	***412.08***
22	2217	7336	जलप्रदाय योजना ई.ए.पी.	0.01	50.00	0.00	***50.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
22	2217	7358	शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्द्धन योजना	0.01	12.50	0.00	***12.51***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
75	2217	7387	केश शिल्पी कल्याण योजना	200.01	0.00	0.00	***200.01***	200.00	0.00	0.00	***200.00***
22	2217	7361	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आवास	0.01	0.00	0.00	***0.01***	0.00	0.00	0.00	***0.00***
			योग	**151217.60**	**29645.21**	**4599.56**	**185462.37**	**109159.94**	**20007.69**	**3202.67**	**132370.30**

नगरीय प्रशासन एवं विकास

वर्ष 2013–14 का बजट प्रावधान, आवंटन एवं व्यय

(आयोजनेतर) (रूपये लाख में)

मांग संख्या	शीर्ष	योजना क्र.	योजना का नाम		वित्त विभाग से प्राप्त आवंटन वर्ष 2013–14	व्यय वर्ष 2013–14
1	2	3	4	5	6	7
22	2217	2122	पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिये (वेतन भत्ते एवं कार्या. व्यय)		113.85	68.89
22	2217	6148	वेतन भत्ते संचालनालय एवं संभागीय कार्यालय		1080.88	691.00
22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था (मानदेय)		7.00	7.00
	2217	5831	म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन		37.28	14.25
22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान		0.01	0.00
22	2217	3383	विशेष मरम्मत भवन		0.01	0.00
22	2217	7300	स्व.श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना		0.01	0.00
22	2217	7406	म.प्र.राज्य केश शिल्पी मंडल		30.00	0.00
22	2217	7407	म.प्र.राज्य वस्त्र स्वच्छता मंडल		10.00	0.00
22	2217	7408	म.प्र.सिलाई कला मण्डल		10.00	0.00
			योग मांग संख्या 22		**1289.04**	**781.14**
75	2215	2181	नगरीय जलप्रदाय योजना का संधारण	**नगर निगम**	2437.09	2437.09
				नगरपालिका परिषद	241.00	241.00
				नगर परिषद	49.04	49.04
				योग	**2727.15**	**2727.15**
75	3604	8017	सड़क मरम्मत	**नगर निगम**	5498.72	5146.84
				नगरपालिका परिषद	3926.67	3893.55
				नगर परिषद	2657.48	2605.98
				योग	**12082.87**	**11646.37**
75	3604	8018	चुंगी क्षतिपूर्ति प्रवेश कर	**नगर निगम**	100419.57	100419.57
				नगरपालिका परिषद	59953.38	59953.38
				नगर परिषद	42979.12	42684.67
				योग	**203352.07**	**203057.62**

75	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों हस्तांतरण	**नगर निगम**	29254.17	25597.98
				नगरपालिका परिषद	20890.82	17869.59
				नगर परिषद	14138.11	11101.36
				योग	**64238.10**	**54568.93**
75	3604	3217	अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत अर्थ दण्ड की वसूली		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	3604	4035	विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति भारित		22500.00	22500.00
				योग	**22500.00**	**22500.00**
75	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजना के लिये विद्युत व्यय की पूर्ति	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगरपालिका परिषद	0.00	0.00
				नगर परिषद	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	**नगर निगम**	1000.00	0.00
				नगरपालिका परिषद	0.00	0.00
				नगर परिषद	0.00	0.00
				योग	**1000.00**	**0.00**
75	3604	7668	स्थानीय निकायों मुलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	**नगर निगम**	3813.45	2814.49
				नगरपालिका परिषद	10169.20	8076.57
				नगर परिषद	11441.83	8015.88
				योग	**25424.48**	**18906.94**
75	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	**नगर निगम**	2340.36	2340.36
				नगरपालिका परिषद	3878.04	3878.04
				नगर परिषद	2781.60	2781.60
				योग	**9000.00**	**9000.00**
75	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज		2500.00	364.00
				योग	**2500.00**	**364.00**
75	2217	6244	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	**नगर निगम**	10501.92	10501.92
				नगरपालिका परिषद	7499.70	7499.70
				नगर परिषद	4871.23	4849.52
				योग	**22872.85**	**22851.14**

75	2217	6226	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	**नगर पंचायत**	423.29	423.29
				योग	**423.29**	**423.29**
75	2217	6551	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	14105.68	1380.13
				नगरपालिका परिषद	9824.35	985.56
				नगर परिषद	6710.83	637.31
				योग	**30640.86**	**3003.00**
75	2217	6552	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान	**नगर निगम**	0.00	0.00
				नगरपालिका परिषद	132.14	131.49
				नगर परिषद	65.86	65.51
				योग	**198.00**	**197.00**
75	2217	6310	निर्वाचित महिला पार्षदों को प्रशिक्षण		0.01	0.00
				योग	**0.01**	**0.00**
75	2217	6602	स्थानीय निकायों /पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	**नगर निगम**	200.00	200.00
				नगरपालिका परिषद	150.00	150.00
				नगर परिषद	100.00	100.00
				योग	**450.00**	**450.00**
75	2217	7398	नगरीय निकायों के लिये स्वच्छता पुरस्कार	**नगर निगम**	110.00	0.00
				नगरपालिका परिषद	60.00	0.00
				नगर परिषद	30.00	0.00
				योग	**200.00**	**0.00**
75	2217	7333	निर्यातकर क्षतिपूर्ति	**नगर निगम**	673.13	673.13
				नगरपालिका परिषद	2177.33	2177.33
				नगर परिषद	149.54	149.54
				योग	**3000.00**	**3000.00**
				महायोग	**402943.73**	**353476.58**

परिशिष्ट–चार

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सुधार कार्यक्रम

जेएनएनयूआरएम का मूल उद्देश्य शहरी शासन एवं सेवा में सुधार लाने को सुनिश्चित करना है, ताकि नगरीय निकाय वित्तीय रूप से मजबूत बन सके एवं नये कार्यक्रम का जिम्मा लेने के लिए सतत् कार्य कर सकें। यह उद्देश्य इस बात पर भी बल देता है कि सुधार चार्टर जिनका पालन राज्य सरकारों एवं नगरीय निकायों के द्वारा किया जाना है, जन निजी भागीदारी के तहत कार्य कराये जाने को विशेष महत्व दिया जाए।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुधार एजेण्डा नीचे दिया गया है। चिन्हित हुए सुधारों में नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप (एनएसजी) अतिरिक्त सुधारों को जोड़ सकता है। केन्द्रीय सहायता पाने के लिए पूर्व अपेक्षित राज्य/नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेंसियों एवं भारत सरकार के बीच इस सुधार की प्रत्येक मद के लिए प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

1. अनिवार्य सुधार

नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल में आधुनिक एक्रुअल आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली को अपनाना।

(ख) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेसियों द्वारा प्रदान विभिन्न सेवाओं के लिए जी.आई.एस. एवं एम. आई.एस. को उपयोग में लाते हुए ई–गवर्नेंस प्रणाली का परिचय।

(ग) जी.आई.एस. सहित संपत्ति कर सुधार। भावी प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकाय द्वारा इसको राजस्व का व्यापक स्त्रोत बनाया जा सकता है, ताकि संग्रहण प्रणाली को सात वर्षो की अवधि में कम से कम 85 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सके।

(घ) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल के द्वारा समुचित उपयोगकर्ता प्रभार की उगाही इस उद्देश्य के साथ कि संधारण–संचालन की पूर्ण लागत एवं रिकरिंग लागत का संग्रहण सात वर्षो की अवधि के अन्दर किया जाता है, तथापि, उत्तरपूर्णी एवं विशेष श्रेणी के राज्य के कस्बों एवं शहर प्रारंभिक तौर पर संधारण–संचालन प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल कर सकते हैं। ये शहर एवं कस्बे चरणबद्ध तरीके से पूर्ण संधारण– संचालन लागत वसूली जुटा सकते है।

(ड) शहरी गरीब को मूलभूत सुविधाएं स्थानीय निकायों में आंतरिक पहचान बजट,

(च) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए वहनीय मूल्यों पर प्रतिभूति की अवधि,सुधार आवास, जल आपूर्ति एवं सरकार की विद्यमान अन्य यूनिवर्सल सेवाओं के प्रदाय को सम्मिलित करते हुए शहरी गरीब को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान।

2. राज्यों के स्तर पर अनिवार्य सुधार

(क) 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में दिए गए अनुसार विकेन्द्रीकरण साधनों का क्रियान्वयन। राज्य नागरिकों को सेवाओं के वितरण के साथ–साथ पैरास्टेटल एजेंसियों के कार्य की योजना में नगरीय निकाय के संयोजन एवं अर्थ पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करें।

(ख) अर्बन लेण्ड सीलिंग रेग्यूलेशन एक्ट।

(ग) भूमि स्वामी एवं किरायेदारों के हित को बनाए रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार।

(घ) सात वर्षो की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक स्टाम्प ड्यूटी को कम करने का युक्तियुक्तकरण।

(ड) नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के मध्यम अवधि राजकोषीय प्लान की तैयारी को सुनिश्चित करने संबंधी सार्वजनिक प्रकटन कानून अधिनियम।

(च) नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समुदाय भागीदारी कानून अधिनियम एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा की धारणा का परिचय देना।

(छ) सात वर्षो की अवधि में ''शहरी योजना कार्य नगरीय निकायों को अंतरित करना या उनको लागू करने मे निकायों को भागीदार बनाना।

टिप्पणी– जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सामान्य जनता उन्मुख योजनाओं के संबंध में नीचे दिए गए राज्य स्तरीय सुधारों को वैकल्पिक सुधारों के रूप में लिया जा सकता है :

(क) शहरी भूमि सीमा एवं नियमन अधिनियम

(ख) किराया नियंत्रण अधिनियम में सुधार

3. वैकल्पिक सुधार (राज्यों, नगरीय निकाय एवं पैरास्टेटल एजेंसियों के लिए सामान्य)

(क) भवनों, स्थल विकास के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उपविधिकों में संशोधन।

(ख) कृषि, गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के परिवर्तन हेतु विधिक एवं प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क का सरलीकरण।

(ग) नगरीय निकाय में संपत्ति हक प्रमाणन का परिचय।

(घ) क्रास सब्सिडी की व्यवस्था सहित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं निजी दोनों एजेंसियों के लिए) में विकसित भूमि को कम से कम 25–25 प्रतिशत तक चिन्हित करना।

(ड) भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया लागू करना।

(च) सभी भवनों में वर्षा जल संचयन तथा जल संरक्षण साधनों को अपनाने के लिए उपविधियों में संशोधन।

(छ) चक्रित जल के पुनः प्रयोग हेतु उपविधियां।

(ज) प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस), सेवानिवृत्ति आदि की वजह से खाली पदों का न भरा जाना एवं इस संबंध में विनिर्दिष्ट लक्ष्य अपना कर मूलभूत लागतों में कटौती करना।

(i) ढॉचागत सुधार

(i i) जन निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

टिप्पणीः जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में शहर अपने क्रियान्वयन में वैकल्पिक श्रेणी के किन्हीं भी सुधारों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

––0––

परिशिष्ट–पांच (एक)

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	उपमिशन	वर्ष	शहर / क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.लाख में)
1	**शहरी अधो–संरचना एवं सु–शासन**	**2005–06**	न.नि. भोपाल	गैस प्रभावित क्षेत्रों में जलप्रदाय	1418.00
2		''	न.नि. इंदौर	यशवत सागर जल आर्वधन योजना	2375.00
3		**2006–07**	न.नि. भोपाल	नाला निर्माण (स्टार्म वाटर ड्रेन चेनेलाईजेशन आफ नाला)	3057.00
4		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन स्क्रेप मार्ट	811.00
5		''	न.नि. भोपाल	रिन्यूअल आफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एम. पी. नगर	1894.00
6		''	न.नि. भोपाल	बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट	23776.00
7		''	न.नि. इंदौर	बी.आर.टी.एस. (पायलेट प्रोजेक्ट)	9845.00
8		''	न.नि. इंदौर	सीवरेज प्रोजेक्ट	30717.00
9		''	न.नि. इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ 8 फीडर रोड	4083.35
10		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ लिंक रोड फ्राम व्हाईट चर्च टू बायपास रोड	1966.34
11		''	इंदौर विकास प्राधिकरण	डेवलपमेंट आफ मास्टर प्लान लिंक रोड एम.आर. 9	3974.64
12		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–1	7801.00
13		''	न.नि. जबलपुर	सीवरेज निर्माण फेस–2	7081.00
14		**2007–08**	न.नि.इंदौर	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	4324.66
15			न.नि.भोपाल	नर्मदा वाटर सप्लाई फेस–1	30604.16
16			इंदौर विकास प्राधिकरण	आर.ओ.बी. एट जूनी इंदौर रेल्वे क्रांसिग	631.00
17			न.नि.उज्जैन	रीआर्गनाईजेशन आफ वाटर सप्लाई सिस्टम	6686.44
18		**2008–09**	न.नि.भोपाल	वाटर सप्लाई डिस्ट्रीव्यूशन नेटवर्क आफ भोपाल म्युनिसिपल एरिया	41545.64
19			न.नि.इंदौर	कन्सट्रक्शन आफ मल्टी लेवल पार्किंग एट 20 डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर सिटी	5600.00
20			न.नि. जबलपुर	रिहेबिलिटेशन आफ एक्सिस्टिंग पंपिंग स्टेशन एट रांझी फगुआ एंड कंस्ट्रक्शन आफ न्यू पंपिंग स्टेशन एट भोगेदवर डब्ल्यूटीपी	1406.00
21			न.नि.भोपाल	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	8875.00
22			न.नि.इंदौर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	5975.00
23			न.नि.जबलपुर	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	3100.00
24			न.नि. उज्जैन	परचेस ऑफ बसेस फॉर अर्बन ट्रांसर्पोट	1420.00
25		**2009–10**	न.नि.जबलपुर	इन्टीग्रेटेड स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनक्लूडिंग ओमतीनालाद्ध	32649.00
26			न.नि. उज्जैन	रिस्टोरेशन एंड कन्जरवेशन फार महाकाल एंड गोपाल मंदिर विरासत क्षेत्र (हेरीटेज प्रोजेक्ट)	4739.00

27		**2010—11**	न.नि. इंदौर	रिवर साईड कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऑफ बीआरटीएस	18000.00
				योग (अ)	**264355.23**
28	**शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं**	**2005—06**	न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ श्यामनगर, ऋषिनगर स्लम	1600.00
29			न.नि.भोपाल	इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ इन्द्रपुरी, कल्पना नगर (स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम)	253.74
30			न.नि.भोपाल	स्लम रीहेबिलीटेशन आफ रोशनपुरा	4714.74
31			न.नि.भोपाल	डेवलपमेंट आफ वीकली मार्केट एट कोटरा (व्हाय रीहेबिलीटेशन एक्सेसटिंग स्लम)	936.00
32		**2006—07**	न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस—1	3950.01
33			न.नि.भोपाल	स्लम एंड पुअर लोकेलिटी इन्टीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम फेस—2	4111.13
34			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाबा नगर, शाहपुरा	2661.37
35			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ गंगा नगर एंड आराधना नगर एट कोटरा	2473.33
36			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ अर्जुन नगर, भीम नगर, मद्रासी कालोनी, राहुल नगर	5263.29
37			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस —1	1710.20
38			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ इन्द्रा नगर फेस—2	1342.87
39			न.नि.भोपाल	रीहेबिलीटेशन आफ बाजपेई नगर, पुलिस लाईन, कोहेफिजां, अय्यूब नगर, माता मढ़िया एंड बेलार कालोनी	5083.80
40			इंदौर विकास प्राधिकरण	स्लम रीहेबिलीटेशन एवं रीसेटेलमेंट स्कीम नंबर 134	1242.40
41			न.नि. इंदौर	स्लम रीडेवलपमेंट एट डिफरेंट लोकेशन इन इंदौर	6193.15
42			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (लालकुआं)	2472.00
43			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्राक्स्ट्रक्चर (बागरा दफाई)	2314.00
44			न.नि. जबलपुर	हाउसेस विथ बेसिक इन्फ्रास्क्ट्रक्चर फेसिलिटी रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ बसोर मोहल्ला, चौधरी मोहल्ला और बल्दूकोरी की दफाई	2543.00
45			न.नि. जबलपुर	रीहेबिलीटेशन एंड रीसेटेलमेंट आफ छुई खदान एंड एरिया बिहांइड बोर्न कंपनी	1424.00
46		**2007—08**	न.नि. उज्जैन	स्लम रीहेबिलीटेशन स्कीम	1740.91
47		**2008—09**	भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट —1	5568.00
48			भोपाल विकास प्राधिकरण	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम पार्ट —2	4676.00
49			न.नि. इंदौर	स्लम रिडेवलेपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन आफ आईडेन्टीफाईड स्लम	8153.00
				योग (ब)	**70426.94**
				कुल योग (अ+ब)	**334782.17**

परिशिष्ट–5 (दो)

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	शहर / क्रियान्वयन एजेंसी	परियोजना	लागत (रू.करोड़ में)
1.	नगर निगम, भोपाल	बीआरटीएस परियोजना पूरक डीपीआर	82.76
2.	नगर निगम, भोपाल	केवल स्टे ब्रिज कमला पार्क	27.34
3.	नगर निगम, भोपाल	लेक फ्रंट डेवलपमेंट, भोपाल	16.47
4.	नगर निगम, इंदौर	आईटीएस कंपोनेंट फॉर बीआरटीएस	57.17
5.	नगर निगम, इंदौर	पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर	498.17
5.	नगर निगम, जबलपुर	मदनमहल स्टेशन के पास फ्लाईओवर का निर्माण	82.47
6.	नगर निगम, उज्जैन	सीवरेज परियोजनाएं, उज्जैन	330.24
7.	नगर निगम, उज्जैन	महाकाल परियोजना फेज–2	60.79
		योग	**1155.41**

परिशिष्ट–छह

आईएचएसडीपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	शहर	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4	5
1.	विदिशा	आवास निर्माण अधोसंरचना	217	184.98
2.	गंजबासौदा	आवास निर्माण अधोसंरचना	110	170.51
3.	सिरोंज पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	114	160.95
4.	सिरोंज पार्ट 2	मूलभूत अधोसंरचना	–	18.89
5.	लटेरी	मूलभूत अधोसंरचना	–	44.87
6.	ग्वालियर	आवास निर्माण अधोसंरचना	4576	5362.02
7.	देवास पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1216	1715.32
8.	देवास पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	1384	1932.57
9.	खंडवा पार्ट 1	आवास निर्माण अधोसंरचना	1296	1738.39
10.	खंडवा पार्ट 2	आवास निर्माण अधोसंरचना	812	1073.96
11.	दमोह	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	229.83
12.	बालाघाट	आवास निर्माण अधोसंरचना	966	1297.95
13.	बैरसिया	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	174.80
14.	कुरवाई	आवास निर्माण अधोसंरचना	48	95.91
15.	कटनी	आवास निर्माण अधोसंरचना	2182	2918.14
16.	नरसिंहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	651	839.88
17.	मझौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	215.31
18.	बरेला	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	225.47
19.	पाटन	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	227.52
20.	शाहपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	104	153.89
21.	देपालपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	399.81
22.	पानसेमल	आवास निर्माण अधोसंरचना	128	293.87
23.	खुजनेर	आवास निर्माण अधोसंरचना	100	241.25
24.	बेटमा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	313.94
25.	गौतमपुरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	96	395.70
26.	कटंगी	आवास निर्माण अधोसंरचना	160	249.98
27.	पेटलावद	आवास निर्माण अधोसंरचना	240	342.33
28.	इटारसी	आवास निर्माण अधोसंरचना	153	363.53
29.	मण्डीदीप	आवास निर्माण अधोसंरचना	202	330.59

30.	होशंगाबाद	आवास निर्माण अधोसंरचना	297	517.55
31.	ओरछा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	344.73
32.	बुरहानपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	833	1365.85
33.	जावरा	आवास निर्माण अधोसंरचना	167	247.73
34.	सागर	आवास निर्माण अधोसंरचना	480	777.07
35.	छिन्दवाड़ा	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	742.00
36.	मोहगांव	आवास निर्माण अधोसंरचना	267	616.38
37.	सौंसर	आवास निर्माण अधोसंरचना	461	712.52
38.	हर्रई	आवास निर्माण अधोसंरचना	139	339.00
39.	चांदामेटा	आवास निर्माण अधोसंरचना	212	676.17
40.	मंदसौर	आवास निर्माण अधोसंरचना	500	1250.00
41.	खरगौन	आवास निर्माण अधोसंरचना	200	491.00
42.	रीवा	आवास निर्माण अधोसंरचना	248	667.49
43.	सतना	आवास निर्माण अधोसंरचना	270	733.01
44.	सिंगरौली	आवास निर्माण अधोसंरचना	300	733.33
45.	महिदपुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	441	838.40
46.	सिंगोली	आवास निर्माण अधोसंरचना	120	368.79
47.	डिकेन	आवास निर्माण अधोसंरचना	124	381.84
48.	अमरवाडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	274	657.01
49.	जीरापुर	आवास निर्माण अधोसंरचना	145	400.00
50.	चौरई	आवास निर्माण अधोसंरचना	266	573.47
51.	पांढुरना	आवास निर्माण अधोसंरचना	140	300.04
52.	जीरन	आवास निर्माण अधोसंरचना	126	377.20
53.	रतनगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	135	417.78
54.	तेंदूखेडा	आवास निर्माण अधोसंरचना	256	675.00
55.	मल्हारगढ	आवास निर्माण अधोसंरचना	144	440.00
56.	पिपल्यामंडी	आवास निर्माण अधोसंरचना	88	273.00
योग			**22998**	**37628.52**

परिशिष्ट–सात

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें

क्र.	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1	2	3	4
1.	नगरपालिका परिषद, विदिशा	जल प्रदाय योजना	1557.52
		सीवरेज योजना	218.00
		सडक निर्माण	73.58
2.	नगरपालिका परिषद, गढ़ाकोटा	जल प्रदाय योजना	596.36
		सडक निर्माण	143.76
3.	नगरपालिका परिषद, दमोह	जल प्रदाय योजना	874.20
		पाईप का जीर्णोद्धार	62.35
		गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		तालाब संरक्षण	53.00
		सडक निर्माण	418.97
		जल प्रदाय योजना फेज–2	3715.95
4.	नगरपालिका परिषद, टीकमगढ़	जल प्रदाय योजना	983.18
5.	नगरपालिका परिषद, मलाजखंड	जल प्रदाय योजना	525.42
		नाला निर्माण	27.60
		सड़क एवं नाली निर्माण	829.43
6.	नगरपालिका परिषद, इटारसी	जल प्रदाय योजना	1467.83
		सीवरेज योजना	708.43
		सडक निर्माण	844.57
7.	नगर परिषद, बुदनी	जल प्रदाय योजना	194.60
		सीवरेज योजना	195.05
		सड़क निर्माण	504.20
8.	नगरपालिका परिषद, जावरा	जल प्रदाय योजना	663.00
		सीवरेज योजना	294.25
9.	नगर परिषद, रेहटी	सीवरेज योजना	143.48
		जल प्रदाय योजना	276.48
		सड़क निर्माण	211.60
10.	नगरपालिका परिषद, डबरा	जल प्रदाय योजना	1441.84
		जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
11.	नगरपालिका परिषद, सीहोर	जल प्रदाय योजना	1454.52
12.	नगर निगम, रतलाम	जल प्रदाय योजना	3265.10
13.	नगर निगम, खण्डवा	जल प्रदाय योजना	10672.30
14.	नगर निगम, देवास	जल प्रदाय योजना	5837.00
		जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		सीवरेज योजना	1462.53
		सड़क निर्माण	1254.50
15.	नगरपालिका परिषद, शिवपुरी	जल प्रदाय योजना	5964.66
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
16.	नगरपालिका परिषद, रहली	जल प्रदाय योजना	602.35
17.	नगरपालिका परिषद, छतरपुर	जल प्रदाय योजना	1593.80
18.	नगरपालिका परिषद, ब्यावरा	जल प्रदाय योजना	709.47
19.	नगर निगम, रीवा	जल प्रदाय योजना	1427.87
20.	नगरपालिका परिषद, सिरोंज	जल प्रदाय योजना	622.95

21.	नगरपालिका परिषद, सनावद	जल प्रदाय योजना	729.68
22.	नगरपालिका परिषद, शुजालपुर	जल प्रदाय योजना	1745.32
		सड़क निर्माण	499.00
23.	नगरपालिका परिषद, मंदसौर	जल स्त्रोत का उन्नयन	1552.45
		जल प्रदाय योजना	5636.37
24.	नगरपालिका परिषद, पन्ना	जल प्रदाय योजना	1808.37
25.	नगरपालिका परिषद, आष्टा	जल प्रदाय योजना	980.40
		सड़क निर्माण	541.28
26.	नगर परिषद, नरूल्लागंज	जल प्रदाय योजना	488.96
		सड़क निर्माण	365.39
27.	नगरपालिका परिषद, होशंगाबाद	जल प्रदाय योजना	1615.26
28.	नगरपालिका परिषद, आगर	जल प्रदाय योजना	1005.80
29.	नगर निगम, ग्वालियर	सीवरेज योजना	6650.00
30.	नगरपालिका परिषद, शाजापुर	जल प्रदाय योजना	996.00
31.	नगरपालिका परिषद, हरदा	जल प्रदाय योजना	1787.00
32.	नगर निगम, सागर	सीवरेज योजना	7661.55
33.	नगर निगम, कटनी	जल प्रदाय योजना	4080.95
		सड़क निर्माण	4567.00
34.	नगरपालिका परिषद, पांढुरना	जल प्रदाय योजना	4611.62
		सडक निर्माण	2054.76
		सड़क निर्माण फेस–2	2063.75
35.	नगरपालिका परिषद, छिन्दवाडा	जल प्रदाय योजना	5732.87
		सड़क निर्माण	5352.70
		सड़क एवं नाली निर्माण फेस–2	2736.76
		आर.यू.बी.	1245.82
		तालाब संरक्षण	382.87
36.	नगरपालिका परिषद, डोंगरपरासिया	जल प्रदाय योजना	3013.33
		सडक निर्माण	1098.03
		सड़क एवं नाली निर्माण	1206.37
37.	नगरपालिका परिषद, सौंसर	जल प्रदाय योजना	1930.22
		सडक निर्माण	2332.73
38.	नगरपालिका परिषद, पिपरिया	जल प्रदाय योजना	2408.11
		सड़क निर्माण	385.46
39.	नगरपालिका परिषद, बैतूल	जल प्रदाय योजना	3262.07
40.	नगरपालिका परिषद, मुलताई	जल प्रदाय योजना	1929.60
		सड़क निर्माण	723.34
41.	नगरपालिका परिषद, खुरई	जल प्रदाय योजना	3662.82
		सड़क निर्माण	457.60
42.	नगरपालिका परिषद, बीना इटावा	जल प्रदाय योजना	3875.50
43.	नगरपालिका परिषद, पिपल्यानारायणवार	जल प्रदाय योजना	81.20
		जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		सड़क निर्माण	408.09
44.	नगरपालिका परिषद, चौरई	जल प्रदाय योजना	886.38
		सडक निर्माण	189.17
45.	नगरपालिका परिषद, सीधी	जल प्रदाय योजना	2118.55
46.	नगरपालिका परिषद, खिरकिया	जल प्रदाय योजना	1225.70
47.	नगरपालिका परिषद, महिदपुर	जल प्रदाय योजना	1683.75
48.	नगरपालिका परिषद, जुन्नारदेव	जल प्रदाय योजना	2432.07

		सडक निर्माण	345.96
49.	नगरपालिका परिषद, अमरवाडा	जल प्रदाय योजना	1609.30
		सडक निर्माण	424.16
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50.	नगर निगम, सतना	जल प्रदाय योजना	8087.57
51.	नगरपालिका परिषद, सबलगढ़	सड़क निर्माण	459.10
		ड्रेनेज	980.94
52.	नगरपालिका परिषद, करेली	जल प्रदाय योजना	3550.77
		सड़क निर्माण	444.47
53.	नगरपालिका परिषद, आमला	सड़क निर्माण	477.66
54.	नगरपालिका परिषद, दमुआ	जल प्रदाय योजना	1479.19
		सड़क निर्माण	652.52
		सड़क एवं नाली निर्माण	611.30
55.	नगरपालिका परिषद, मनावर	जल प्रदाय योजना	1125.60
		सड़क निर्माण	475.15
56.	नगरपालिका परिषद, वारासिवनी	सड़क निर्माण	810.96
		जल प्रदाय योजना	2232.00
57.	नगरपालिका परिषद, अनूपपुर	जल प्रदाय योजना	1521.22
58.	नगरपालिका परिषद, बेगमगंज	जल प्रदाय योजना	1392.22
59.	नगर परिषद, चुरहट	सड़क निर्माण	232.10
60.	नगर परिषद, हर्रई	सड़क निर्माण	177.27
		जल प्रदाय योजना	873.87
		सड़क एवं नाली निर्माण	324.93
61.	नगर परिषद, चॉदामेटा	सड़क निर्माण	321.30
		जल प्रदाय योजना	1432.20
62.	नगर परिषद, चित्रकूट	जल प्रदाय योजना	1319.68
63.	नगर परिषद, बड़कुही	सड़क निर्माण	476.42
		जल प्रदाय योजना	1211.82
64.	नगर परिषद, शमशाबाद	जल प्रदाय योजना	882.47
65.	नगर परिषद, बैकुंठपुर	जल प्रदाय योजना	732.75
66.	नगर परिषद, तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	जल प्रदाय योजना	1028.64
67.	नगर परिषद, शाहगंज	जल प्रदाय योजना	436.45
		सड़क निर्माण	477.96
68.	नगर परिषद, शामगढ़	जल प्रदाय योजना	2374.00
69.	नगर परिषद, हिंडोरिया	जल प्रदाय योजना	1138.34
70.	नगर परिषद, आठनेर	सड़क निर्माण	217.90
		जल प्रदाय योजना	1309.00
71.	नगरपालिका परिषद, गुना	जल प्रदाय योजना	7140.42
72.	नगरपालिका परिषद, राजगढ़	जल प्रदाय योजना	1907.76
73.	नगर परिषद, राजपुर	सड़क निर्माण	489.00
74.	नगर परिषद, मण्डलेश्वर	जल प्रदाय योजना	799.29
		सड़क निर्माण	659.08
75.	नगरपालिका परिषद, सिवनी	जल प्रदाय योजना	4735.80
76.	नगर परिषद, जीरन	जल प्रदाय योजना	549.92
77.	नगर परिषद, मल्हारगढ़	जल प्रदाय योजना	548.92
78.	नगर परिषद, पिपल्यामण्डी	जल प्रदाय योजना	968.72
		सड़क निर्माण	487.50
79.	नगर परिषद, रामपुरा	जल प्रदाय योजना	1956.37
80.	नगर परिषद, सुवासरा	जल प्रदाय योजना	1764.30

81.	नगर परिषद, भेड़ाघाट	सड़क निर्माण	603.40
82.	नगर परिषद, सिंगौली	सड़क निर्माण	264.71
83.	नगर परिषद, लोधीखेड़ा	सड़क निर्माण	417.33
		जल प्रदाय योजना	611.76
84.	नगर परिषद, सोनकच्छ	सड़क निर्माण	499.00
85.	नगर परिषद, मोहगांव	सड़क निर्माण	462.18
		जल प्रदाय योजना	848.87
86.	नगर परिषद, पिपलरवां	सड़क निर्माण	364.70
		जल प्रदाय योजना	964.22
87.	नगर परिषद, न्यूटन चिखली	सड़क निर्माण	604.25
		सड़क एवं नाली निर्माण	163.30
		जल प्रदाय योजना	1055.90
88.	नगर परिषद, चंदेरी	सड़क निर्माण योजना	614.85
89.	नगर परिषद, मुंगावली	जल प्रदाय योजना	1070.40
		सड़क निर्माण	550.00
90.	नगर परिषद, कोलारस	सड़क निर्माण	1234.03
91.	नगर परिषद, पृथ्वीपुर	सड़क निर्माण	504.80
92.	नगरपालिका परिषद, पोरसा	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		जल प्रदाय योजना	959.25
93.	नगर निगम, सिंगरौली	जल प्रदाय योजना	7795.24
94.	नगरपालिका परिषद, कोलार	जल प्रदाय योजना	5210.42
95.	नगरपालिका परिषद, बड़वाह	जल प्रदाय योजना	1704.96
96.	नगरपालिका परिषद, मण्डला	सड़क एवं नाली निर्माण	133.22
97.	नगरपालिका परिषद, चाचौड़ा–बीनागंज	सड़क एवं नाली निर्माण	134.27
98.	नगर परिषद, ईसागढ़	सड़क निर्माण	629.40
99.	नगर परिषद, चिचौली	सड़क निर्माण	200.00
100.	नगरपालिका परिषद, देवरी	जल प्रदाय योजना	2301.68
101.	नगरपालिका परिषद, बालाघाट	जल प्रदाय योजना	4283.00
102.	नगरपालिका परिषद, कोतमा	जल प्रदाय योजना	1799.58
103.	नगरपालिका परिषद, नीमच	जल स्त्रोत उन्नयन	1545.98
104.	नगर परिषद, लांजी	सड़क निर्माण	815.88
		जल प्रदाय योजना	1825.00
105.	नगर परिषद, लखनादौन	सड़क निर्माण	519.37
106.	नगर परिषद, बैहर	सड़क निर्माण	405.61
107.	नगर परिषद, सतवास	जल प्रदाय योजना	1397.40
108.	नगर परिषद, बाड़ी	जल प्रदाय योजना	785.60
109.	नगर परिषद, सिरमौर	जल प्रदाय योजना	980.00
110.	नगर परिषद, भैंसदेही	सड़क निर्माण	483.00
111.	नगर परिषद, पाटन	सड़क निर्माण	329.60
112.	नगर परिषद, डही	जल प्रदाय योजना	931.80
113.	नगर परिषद, बल्देवगढ़	जल प्रदाय योजना	1264.80
114.	नगर परिषद, शाहपुरा	जल प्रदाय योजना	1368.66
		योग	**285991.05**

परिशिष्ट–आठ

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्र.	निकाय का नाम	योजना का नाम	रूपये (लाख में)
1	2	3	4
1	नगर परिषद, सुल्तानपुर	पेयजल योजना	681.50
2	नगरपालिका परिषद, रायसेन	पेयजल योजना	3317.60
3	नगर परिषद, खिलचीपुर	पेयजल योजना	999.36
4	नगरपालिका परिषद, मण्डीदीप	पेयजल योजना	1110.87
5	नगर परिषद, बाबई	पेयजल योजना	951.62
6	नगर परिषद, टिमरनी	पेयजल योजना	1923.58
7	नगरपालिका परिषद, गंजबासौदा	पेयजल योजना	4216.00
8	नगर परिषद, नौरोजाबाद	पेयजल योजना	1581.00
9	नगर निगम, रीवा	पेयजल योजना	2262.95
10	नगरपालिका परिषद,शहडोल	पेयजल योजना	3614.19
11	नगर परिषद, गुढ	पेयजल योजना	793.00
12	नगर परिषद, टोकखुर्द	पेयजल योजना	484.15
13	नगर परिषद, उन्हेल	पेयजल योजना	1116.00
14	नगर परिषद, सरदारपुर	पेयजल योजना	405.49
15	नगर परिषद, ताल	पेयजल योजना	777.01
16	नगर परिषद, भौरासा	पेयजल योजना	698.24
17	नगर परिषद, करनावद	पेयजल योजना	950.22
18	नगर परिषद, नामली	पेयजल योजना	595.41
19	नगरपालिका परिषद, बड़नगर	पेयजल योजना	1737.15
20	नगरपालिका परिषद, नीमच	पेयजल योजना	3367.75
21	नगरपालिका परिषद, अशोक नगर	पेयजल योजना	1326.71
22	नगर परिषद, खनियाधाना	पेयजल योजना	566.00
23	नगरपालिका परिषद, धार	पेयजल योजना	2174.54
24	नगर परिषद, पंधाना	पेयजल योजना	998.00
25	नगर परिषद, भीकनगॉव	पेयजल योजना	760.93
26	नगर परिषद, राजगढ़ (धार)	पेयजल योजना	898.25
27	नगरपालिका परिषद, बड़वानी	पेयजल योजना	1990.05
28	नगर परिषद, कुक्षी	पेयजल योजना	1848.08
29	नगरपालिका परिषद, झाबुआ	पेयजल योजना	3094.10
30	नगर परिषद, मुंदी	पेयजल योजना	578.92
31	नगर परिषद, बदनावर	पेयजल योजना	952.31
32	नगर परिषद, निवाडी	पेयजल योजना	2103.40
33	नगर परिषद, तरीचरकलां	पेयजल योजना	1493.03
34	नगर परिषद, ओंकारेश्वर	पेयजल योजना	571.94
35	नगरपालिका परिषद, नरसिंहपुर	पेयजल योजना	3217.95

36	नगरपालिका परिषद, मण्डला	पेयजल योजना	2471.17
37	नगर परिषद, डिण्डोरी	पेयजल योजना	843.00
38	नगर परिषद, सांवेर	पेयजल योजना	851.28
39.	नगर परिषद, बड़ौनी	पेयजल योजना	456.36
40.	नगर परिषद, सिंगौली	पेयजल योजना	891.42
41.	नगर परिषद, ओरछा	पेयजल योजना	578.23
42.	नगरपरिषद, अमरकंटक	पेयजल योजना	595.00
43	नगरपालिका परिषद, नौगांव	पेयजल योजना	2780.67
44	नगर परिषद, चाकघाट	पेयजल योजना	453.36
45	नगरपालिका परिषद, सिवनीमालवा	पेयजल योजना	2286.19
46	नगर परिषद, खाचरौद	पेयजल योजना	1628.63
47	नगर परिषद, औबेदुल्लागंज	पेयजल योजना	1343.63
48	नगरपालिका परिषद, पीथमपुर	पेयजल योजना	2766.99
49	नगरपालिका परिषद, सबलगढ़	पेयजल योजना	2120.03
50	नगरपालिका परिषद, सारंगपुर	पेयजल योजना	1353.08
51	नगरपालिका परिषद, अम्बाह	पेयजल योजना	2721.45
52	नगर परिषद, शाहगढ़	पेयजल योजना	895.45
53	नगर निगम, ग्वालियर	पेयजल योजना	480.00
54	नगर परिषद, जावद	पेयजल योजना	1108.26
55	नगर परिषद, सिमरिया	पेयजल योजना	808.48
56	नगर परिषद, पाली	पेयजल योजना	1169.33
57	नगर परिषद, त्यौंथर	पेयजल योजना	1046.86
58	नगर परिषद, मक्सी	पेयजल योजना	1540.39
59	नगर परिषद, हनुमना	पेयजल योजना	1035.34
60	नगर परिषद, रामपुर बघेलान	पेयजल योजना	575.17
61	नगरपालिका परिषद, बैरसिया	पेयजल योजना	1745.98
62	नगरपालिका परिषद, पलेरा	पेयजल योजना	1268.93
63	नगर परिषद, पथरिया	पेयजल योजना	2228.20
64	नगर परिषद, नलखेड़ा	पेयजल योजना	480.33
65	नगर परिषद, बड़ागांव	पेयजल योजना	964.40
66	नगर परिषद, बडौद	पेयजल योजना	844.38
67	नगर परिषद, नारायणगढ़	पेयजल योजना	301.50
68	नगर परिषद, बड़ावदा	पेयजल योजना	691.55
69	नगर परिषद, तराना	पेयजल योजना	799.20
70	नगर परिषद, मनासा	पेयजल योजना	780.85
71	नगर परिषद, रतनगढ़	पेयजल योजना	563.28
72	नगर परिषद, बैहर	पेयजल योजना	84.24
	योग		**97709.91**

परिशिष्ट–नौ

''परियोजना उदय'' के अंतर्गत किये गये मुख्य कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्र.	शहर	कार्य	विवरण
1.	**भोपाल**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	भोपाल में जलप्रदाय सुदृढ़ीकरण कार्य के अंतर्गत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्धार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 14 बल्क मीटर, 1908 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 5 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों,02 सतही पानी की टंकियों का निर्माण तथा 639 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य सम्पादित किया जाना। 110 से 1200 मि.मी. व्यास का 126 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना तथा 100 से 600 मि.मी. व्यास का 6.88 कि.मी.फीडरमेन, एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण, सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड़ बनाना आदि के कार्य किया जाना।
		भौतिक प्रगति 31.12.2013	इन सभी कार्यो के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा कार्य पूर्ण है। भोपाल में जलप्रदाय सुदृढ़ीकरण कार्य के अंर्तगत विद्यमान 7 जल शोधन संयंत्र तथा 7 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्धार का कार्य, जल मात्रा की गणना हेतु 14 बल्क मीटर व 1908 बल्क कन्जूमर मीटर लगाने, 5 उच्चस्तरीय टंकियों का निर्माण, 02 सतही पानी की टंकियों का निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 240 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने, 233.19 कि.मी. सीवर लाईन बिछाने एवं 6.88 कि.मी. फीडरमेन बिछाने का कार्य पूर्ण किया गया है। एक सीवेज सम्पवेल का निर्माण कार्य पूर्ण है। सीवेज उपचार उपरान्त 2.5 कि.मी. चैनल तथा रोड बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2013 तक लगभग रू. 196.92 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
2	**ग्वालियर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ग्वालियर में जलप्रदाय व्यवस्था हेतु 2 जल शोधन संयंत्र, 2 पम्प हाउसों के पुनरोद्धार का कार्य, 45 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल, जल शोधन संयंत्र का कार्य, 13.7 कि.मी. पम्पिंगमेन 45.5 कि.मी. फीडरमेन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 25 बल्क मीटर, 1088 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 11 उच्चस्तरीय पानी की टंकियो, 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण, 313.77 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने तथा बरसाती पानी के निकास हेतु 27.3 कि.मी. नालों का निर्माण कार्य सम्पादित किया जाना।
		भौतिक प्रगति 31.12.2013	ग्वालियर में 2 जलशुद्धिकरण संयन्त्र तथा 2 शुद्धजल पम्पिंग स्टेशनों का जीर्णोद्धार कार्य, 43 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेक वेल एवं जल शोधन संयंत्र का कार्य, 13.62 कि.मी. पम्पिंगमेन व 39.38 कि.मी. फीडरमेन बिछाने का कार्य तथा 25 बल्क मीटर, 1075 बल्क कन्जूमर मीटर स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया।16 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों, 4 सतही पानी की टंकियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। 309.93 कि.मी. जल वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बरसाती पानी के निकास हेतु24.29 कि.मी. पाइप लाइन डालने व 7.25 कि.मी. नालों का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2013 तक लगभग रू. 153.67 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

3	**इन्दौर**	जलप्रदाय / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 2 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्धार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक वेल का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र, 3 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण, 64.10 कि.मी. पम्पिंगमेन, 83.062 कि.मी. ग्रेव्हीटीमेन बिछाना, जल मात्रा की गणना हेतु 76 मीटरों की स्थापना, देवगुडरिया सेनेटरी लैण्डफिल साइट तथा 27 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण किया जाना। 727.994 कि.मी. जल वितरण नलिकाये बिछाने का कार्य किया जाना।
		भौतिक प्रगति 31.12.2013	इन्दौर में जलप्रदाय व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विद्यमान 1 जल शोधन संयंत्र तथा 2 पम्पिंग स्टेशनों के पुनरोद्धार का कार्य, 900 एम.एल.डी. इनटेक वेल का निर्माण, 360 एम.एल.डी. जल शोधन संयंत्र, 3 पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण , 64.10 कि.मी. पम्पिंगमेन , 80.26 कि.मी. ग्रेव्हीटी मेन को बिछाने का कार्य, कुल 76 मीटर स्थापित किये जाने, देवगुडरिया सेनेटरी लैण्डफिल साइट का कार्य एवं 27 उच्चस्तरीय टंकियो का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 659.59 कि.मी. जल वितरण मेन को बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2013तक लगभग रू. 659.69 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।
4	**जबलपुर**	जलप्रदाय / मल–जल निकासी / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल, 120 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2.75 कि.मी. लम्बाई की रॉ–वाटर पम्पिंगमेन, जल मात्रा की गणना हेतु 8 EMF 39 बल्क मीटर, 527 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 13 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, 598 कि. मी. जल वितरण प्रणाली, 36.63 कि.मी. फीडरमेन, बरसाती पानी के निकास हेतु 16 कि.मी. नालों का निर्माण एवं कथोन्डा लैण्डफिल साइट का निर्माण कार्य सम्पादित किया जाना। जल मल निकासी 85.891 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाना व 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण कार्य करना।
		भौतिक प्रगति 31.12.2013	जबलपुर में परियट टैंक के स्पिल चैनल के सुदृढीकरण का कार्य करना, 220 एम.एल.डी. क्षमता का इनटेक वेल, 120 एम.एल.डी. क्षमता का जल शोधन संयंत्र का निर्माण, 2.75 कि.मी. लम्बाई की रॉ–वाटर पम्पिंगमेन, जल मात्रा की गणना हेतु 8 EMF 39 बल्क मीटर, 527 बल्क कन्जूमर मीटर की स्थापना, 13 उच्चस्तरीय पानी की टंकियों का निर्माण, 579.05 कि.मी. जल वितरण प्रणाली तथा 34.41 कि.मी. फीडरमेन बिछाने कार्य पूर्ण किया गया है। बरसाती पानी के निकास हेतु 4 कि.मी. नालों तथा कथोन्डा लैण्डफिल साइट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 61. 259 कि.मी. सीवर नेटवर्क बिछाने तथा 50 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का कार्य पूर्ण किया गया है।
		वित्तीय प्रगति	उक्त कार्यो पर 31.12.2013 तक लगभग रू. 245.70 करोड़ की राशि व्यय हो चुकी है।

.....

नोट्स

नोट्स

नोट्स